कामकाजी महिला

वर्ष 2 अंक 1 | अक्टूबर, 1989 | मूल्य : एक रुपया

"हमें रोजगार चाहिए, झूठे वादे नहीं", 8 सितम्बर की विशाल रैली का एक दृश्य

दिल्ली में महिलाओं की विशाल रैली

□ विमल रणदिवे

"हमें वादे नहीं रोजगार चाहिए" के आकाशभेदी नारे के साथ, देश की संसद के सामने वोट क्लब पर 8 सितम्बर के अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के जरिए देश के कोने-कोने से आयी महिलाओं ने न सिर्फ महिलाओं के प्रति चिंता के राजीव सरकार के ढोंग को बेनकाब किया बल्कि वादे पूरे न करने के लिए, "राजीव सरकार इस्तीफा दो" की दो टूक मांग भी उठायी। यह सम्भवतः पिछले तमाम वर्षों में पहला मौका था जब देश के 18 राज्यों से आयीं 30 हजार से ज्यादा महिलाओं ने राजधानी में प्रदर्शन कर अपनी मांगों के लिए जोरदार आवाज उठायी।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति तथा कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) के आह्वान पर हुई इस अभूतपूर्व रैली में बिहार की सबसे दबी-कुचली महिलाओं, महाराष्ट्र की आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं तथा दिल्ली में लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं तथा नौकरीपेशा महिलाओं तक, जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं हिस्सा ले रही थीं।

किसी ने सोचा भी न था कि ऐसी रैली के लिए त्रिपुरा से 35 महिलाएं पहुंच सकेंगी, जहां कांग्रेस निजाम में स्त्री-पुरुषों पर अभूतपूर्व अत्याचार हो रहे हैं। असम से भी 100 से ज्यादा महिलाओं का जत्था पहुंचा था, जहां बोडो आंदोलन जारी है और हर रोज लोग मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र से 3500 महिलाओं का विशाल जत्था पहुंचा था, जिसने आदिवासी महिलाओं की भारी तादाद के चलते सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसमें, आंगनवाड़ी में काम करने वाली 450 महिलाएं भी शामिल थीं, जो गणेश चतुर्थी के बावजूद प्रदर्शन में हिस्सा लेने आयीं थी। पंजाब से, मौजूदा खतरनाक हालात के बाव-

[शेष पृष्ठ 23-24 पर]

इस अंक में

दिल्ली में महिलाओं की विशाल रैली	2
कांग्रेस प्रायोजित आंगनवाड़ी सम्मेलन	3
उदयपुर में आंगनवाड़ी महिलाओं का सम्मेलन	5
आंगनवाड़ी महिलाओं की आवाज संसद में गूंजी, दूरदर्शन महानिदेशक के नाम खुला पत्र	7
गांधी दर्शन में महिलाओं की दुर्दशा	9
कामकाजी महिलाओं की समस्या पर विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन	11
कृषि क्षेत्र में महिलाएं	14
तम्बाकू उद्योग में महिलाएं	15
इस्पात उद्योग की नर्स कर्मचारियों से अपील	17
विमान परिचारिकाओं की सेवा निवृत्ति की आयु पचास वर्ष करने की सिफारिश	18
असंगठित मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन	20
"हम जीतेंगे"—अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का वक्तव्य	21

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 21-ए झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

कांग्रेस-प्रायोजित आंगनवाड़ी सम्मेलन

महिला मतदाताओं को आकर्षित करने का एक और प्रयास होता है। तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली में 17-19 अगस्त को ग्रामसेविकाओं, बालसेविकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों से लगभग 3000 महिलाएं आयीं। हरेक राज्य को अपने खर्च पर 70 महिलाओं को जुटाने का कोटा दिया गया था। वे आयीं, अपनी मांगों पर बोलीं और वेतन में वृद्धि या रोजगार के स्थायित्व का कोई आश्वासन लिए बिना गयीं।

केन्द्रीय कृषि मंत्री भजनलाल ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, जनार्दन पुजारी ने मुख्य भाषण दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री रफीक आलम ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। युवा एवं खेल मामलों, महिला और बालविकास राज्य मंत्री मार्गरेट अल्वा ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी अंतिम दिन बोले। इस तरह 'ग्रामीण' गरीब जनस्तरीय महिलाओं की 'गरीब' श्रेणियों के 'प्रतिभा-सार' को संबोधित किया चार मंत्रियों ने, और निश्चय ही प्रधानमंत्री ने भी, जो आजकल महिलाओं के विकास, उनके आगे बढ़ने की बात करते थकते ही नहीं।

सब ने बेशक कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। पर हमें यह नहीं पता कि उन बातों का इन 'गरीब' महिलाओं के लिए कोई अर्थ था या नहीं। उदाहरण के तौर पर उद्घाटन-भाषण में भजनलाल ने स्वीकार किया कि, "विकास कार्यक्रमों का लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंचा है 'और' राज्य सरकारों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए विशेष कार्य-दस्ते बनाने को कहा गया है।" उन्होंने आंगनवाड़ी महिलाओं से वादा किया कि "कार्यदस्ते 15 अक्टूबर तक ही काम की योजना तैयार कर लेंगे।" इस तरह महिलाओं को 15 अक्टूबर तक कार्य-दस्ते की योजना के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और कई वर्ष लगेंगे कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने में। श्री भजनलाल ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि जब तक महिलाओं को बेहतरीन अवसर नहीं प्रदान किये जाते, "देश पिछड़ा और एकतरफा झुकाव वाला होगा।" वे कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और अभी भी देवी लाल की सरकार को अगले चुनावों में हटाने के लिए कभी-कभार दौरे पर जाया करते हैं। उनके शासन-काल में किसी ने महिलाओं के विकास के लिए बेहतरीन अवसर देने की बात नहीं सुनी।

लेकिन निश्चय ही भजनलाल ने एक अंदाजा दिया है कि महिलाओं को किस प्रकार का रोजगार भविष्य में मिलने वाला है। उन्होंने कहा, "विभिन्न विकास कार्यक्रमों को समेकित किया जाएगा ताकि ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। ऐसा आंगनवाड़ी और डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए० (ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास) केन्द्रों पर होगा, संस्थाओं में प्रयुक्त चीजों का उत्पादन महिलाएं घरों में करेंगी। राज्यों को महिला कारपोरेशनों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने की जिम्मेदारी होनी चाहिए।" ये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को काम दिये जाने की 'कार्य योजनाएं' हैं। शैक्षिक संस्थाओं को पेंसिल, बोर्ड, बक्से आदि की जरूरत होगी। महिलाएं घरों में बैठकर इन चीजों को बनाएंगी और महिला कारपोरेशन इनको बेचेंगी, और बाजार में बिकने के बाद ग्रामीण महिलाओं को पैसे मिलेंगे। यह शायद एक तरह की स्व-रोजगार योजना है। लेकिन हमारे लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि महिलाओं को विकासात्मक कार्यों का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा जिससे उन्हें काम और न्यूनतम मजदूरी की सुरक्षा मिल सकती। महिलाएं, जैसा कि जनार्दन पुजारी ने कहा, राष्ट्र-निर्माण में 'बराबरी की साथी' बनने को तैयार हैं। महिलाएं इसी उद्देश्य से रोजगार चाहती हैं, जिससे वे अपनी रोटी कमा सकें, आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकें। जवाहर रोजगार का डंका कांग्रेसी प्रशासक खूब बजा रहे हैं। यह एक परिवार से एक आदमी को वर्ष भर में 50 से 100 दिनों के रोजगार देने की बात करती है। लेकिन क्या इतना एक परिवार, एक आदमी ही, को जिन्दा रखने

के लिए पर्याप्त है ?

श्री रफीक आलम कहते हैं कि महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए और विकास की प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पहली बार कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा मंत्री महोदय मानते हैं कि पहली बार महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधान रखे जा रहे हैं—सच नहीं है। ये पिछले 40 वर्षों के दौरान बनाए गए थे। कुछ कानून महिला संगठनों के दवाब में आकर बनाए गए थे। लेकिन याद रखने की बात यह है कि उन कानूनों का क्या हुआ, उन्हें किस हद तक लागू किया जा सका और इस प्रक्रिया में किस सीमा तक "महिलाओं की भागीदारी" हुई ? कभी-कभी कांग्रेस के मंत्री महिलाओं को सरलाएं और शायद मूर्खाएं ही समझते हैं, जिन्हें इन वक्तव्यों का कोई मतलब पता नहीं। उन्हें समझना चाहिए कि महिलाओं को दहेज-हत्याएं झेलनी पड़ती हैं, अत्याचार, पुलिस के हाथों बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है, चाहे कितने ही कानून क्यों न हों ? क्या यह गांवों और शहरों में रहने वाली उन महिलाओं की अवमानना नहीं है, जो पहले से ही हरेक स्तर पर असमानता की शिकार हैं; कि वे ऐसी 'बेहूदा' बातों को सुनें।

इन सबके ऊपर प्रधानमंत्री राजीव गांधी 19 नवंबर यानी इंदिरा के जन्मदिन पर कुछ सुविधाएं देने की घोषणा की है ! जैसी कि सूचना मिली है, आंगनवाड़ी में महिला अल्प वेतन और यौन-शोषण वगैरह की अपनी समस्याओं के बारे में बोलीं। और शायद प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वे चुपचाप सुनते रहे।

कुछ प्रतिनिधियों ने भोजन के लिए अपनी जगहें भी नहीं छोड़ीं, इस आशा में कि उनकी मजदूरी वगैरह को लेकर कुछ घोषणाएं हों। लेकिन हाय ! अन्तिम दिन तक भी कोई घोषणा नहीं हुई। सूचना है कि सम्मेलन ने सिफारिश की कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को नियमित सरकारी कर्मचारी बनाया जाय और अनुभवी तथा योग्य महिलाओं को आई० सी० डी० एस० निरीक्षक और विस्तार अधिकारी आदि बनाया जाए। ये सूचनाओं के मुताबिक सम्मेलन की सिफारिशें हैं। आर० सी० डी० एस० में एक खास अवधि के बाद महिलाओं के निरिक्षक बनने की बात कोई नई नहीं है। यह 1986 के सरकारी विधान में ही है, जिसे प० बंगाल और केरल के अलावा कहीं लागू नहीं किया जाता। 1989 के अप्रैल में सीटू के महिला सम्मेलन में कार्यकर्त्ता और हेल्पर को क्रमशः 600/- और 400/- देकर नियमित बनाने की मांग की गई थी।

इन मांगों को मनवाने के लिए महिलाओं को अपने राज्यों में एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए, उन्हें सरकार को मनाने के लिए मजबूर करना चाहिए। बिना संघर्ष के महिलाओं की एक भी मांग मानी नहीं गई है। इस चुनावी साल में कांग्रेस महिलाओं से वायदे करती जायेगी, जिन्हें बिना संघर्षों के कभी पूरा नहीं होना है।

प० बंगाल में मातृत्व अवकाश बढ़ाया गया

प० बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने 12 सितम्बर 1989 को घोषणा की कि कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। अब तक यह छुट्टी 90 दिनों की होती थी।

इस संबंध में सरकार ने विभिन्न विभागों को तदनुसार निर्देश भी दे दिये हैं। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महासचिव कामरेड अजय मुखर्जी ने इस फैसले का स्वागत किया है।

इससे प० बंगाल की वामपंथी मोर्चे की सरकार और कांग्रेस (इ०) प्रशासित राज्यों में क्या अन्तर है इसका पता चलता है।

काम की तलाश में

रोजगार दफ्तरों के लाइव रजिस्टर आंकड़ों के मुताबिक रोजगार तलाशने वालों की कुल संख्या 1988 के अन्त तक 300.50 लाख थी। 1987 के अन्त तक यह संख्या नी 302.47 लाख यानि 1988 की शुरूआत की संख्या से 0.7% कम। 1988 में कुल 3.28 लोगों को काम मिला।

शिक्षित रोजगार-खोजी

शिक्षित रोजगार खोजियों (यानि मैट्रिक और उससे ऊपर) की संख्या रोजगार दफ्तरों के लाइव रजिस्टरों के मुताबिक बढ़ती दीखती है। 1987 के अन्त में यह 167.35 लाख थी, जबकि 1986 के अन्त में 164.52 लाख।

उदयपुर में आंगनवाड़ी महिलाओं का विशाल सम्मेलन

उदयपुर का 1000 क्षमता वाला टाऊन हॉल, गैलरी के अलावे, 13 अगस्त 1989 को आंगनवाड़ी कर्मचारियों और हेल्पर्स से खचाखच भरा हुआ था। घोर शोषण, यौन यातनाएं एवं तथाकथित वेतन के नाम पर 250-300/- प्रतिमाह और त्रासदी यह कि उन्हें सामाजिक कार्यकर्म कहा जाता है, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने इन औरतों को गिरवा, वड़लाव, केसरिया, रामनगर, धारियावाड़, कोटा तथा अन्य जगहों से लाकर यहां इकट्ठा किया। वे केन्द्रिय कर्मचारी के बराबर का वेतनमान मांग रही थीं। देहाती इलाकों में गरीब व शोषित औरतों की स्थिति का पता लगाना मुश्किल नहीं है। आंगनवाड़ी प्रदर्शन के दिन उनके भाषण तथा गीतों से पता चलता है कि अब उनकी सोची हुई चेतना अपनी मांगों के लिए जुझारू संघर्ष का रूप ले रही है। आंगनवाड़ी महिला कामगार यूनियन का पहला सम्मेलन पुष्पा शर्मा, सूर्य कुंअर, मंगीबाई, हेमलता, श्रीमाली और मंजुला त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुआ।

सम्मेलन का उद्घाटन ए० आई० सी० सी० डब्ल्यू० की सदस्या और राजस्थान जनवादी महिला समिति की अध्यक्षा कामरेड मधु सेठिया ने की। उन्होंने कहा कि इस समारोह में 1000 औरतों का जमा होना, जबकि एक महीने पहले ही 10 जुलाई को धरने का कार्यक्रम था, इस बात को दिखाता है कि कितना ज्यादा शोषण ये महिलाएं झेल रही हैं। हम एकजुट होंगे तथा अवश्य लड़ेंगे। राजीव गांधी के इस नारे से कि औरतों के लिए 30 प्रतिशत का आरक्षण हो, हमारी औरतों को धोखे में नहीं आना चाहिए, जो मात्र 200 रुपये वेतन पा रही हैं।

केन्द्रों की दयनीय स्थिति

कामरेड बी० एन० चमवाल ने आंगनवाड़ी की विभिन्न परियोजनाओं में लगी महिलाओं की वर्तमान दशा के बारे में बताया। 17 ताल्लुकों में से 14 में आजकल काम चल रहा है, जहां 1500 केन्द्र चलाए जा रहे हैं। हमारा संगठन कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ। लेकिन इसी छोटे समय में कुछ गौर करने लायक बातें हुई हैं। धारियावाड़ केन्द्र में महिलाओं को तीन महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा था और घर का ईंधन का खर्चा नहीं चुकाया गया था। 20 केन्द्रों में रिकार्डों के न होने से ही लापरवाही का पता चल जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि परियोजनाएं कारगर हो रही हैं। जब हमारे शिष्टमण्डल ने हस्तक्षेप किया तब 4 महीने का वेतन देने का वादा किया गया। सलुम्बार परियोजनाओं के पांच केन्द्रों पर 27वें महीने का वेतन नहीं मिला। और अब महिलाओं को केन्द्र बन्द करने की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा प्रावधान है कि प्रशिक्षण के पहले के स्वास्थ्य-शिक्षा के लिए 50 रुपये दिए जाएं। लेकिन ऐसा केवल राजसामांड परियोजना में ही हो पाता है। केन्द्रों पर जाने पर यूनियन नेताओं ने पाया कि तथाकथित पोष्टिक भोजन बासी हुआ करता है, किसी को पता नहीं कि किस समय पर कितना खाना मिलेगा। लेकिन विचित्रता तो यह है कि बिल तैयार होने से पहले ही हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। यदि कोई यह पूछने की हिमाकत भी करता है कि कितना दलिया, घी, या तेल है तो उसे बर्खास्त कर देने की धमकी दी जाती है। जरूरी राशि से गेहूं, तेल आदि चीजें चुराई जाती हैं।

महिलाओं ने अपनी आवाज बुलन्द की

एक के बाद एक, सारी वक्ताओं ने भ्रष्टाचार और परेशान किए जाने की कहानियां सुनाईं। विद्या देवल ने कहा कि जैसे ही यूनियन बनी हमारे डर खत्म हो गए, हमें अपनी यूनियन को मजबूत बनाना है। हमें पांच वर्ष के काम के बाद भी धमकी दी जाती है। अब हमें पता है हमें कैसे लड़ना है। सूर्यकुंवर ने कहा कि संघर्षों में हिस्सेदारी करने के बाद मैं प्रतिनिधियों को आश्वस्त कर सकती हूं कि हम लोग नियुक्ति (Deputation) पर दिल्ली जा सकते हैं। पुष्पा शर्मा ने कहा कि जब हम अप्रैल में दिल्ली गए तो हमें अपने आंदोलन की कमजोरियों का

अहसास हुआ। मैंने अपने साथियों से कहा कि सिर्फ दिल्ली पर ही भरोसा मत करो, हमें लड़ना ही होगा। जब हमने राजीव गांधी से मिलकर उन्हें अपनी परिस्थितियों के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, यह आंगनवाड़ी क्या है ? मुझे नहीं पता·· "

पुष्पा श्रीमाली ने कहा कि पौष्टिक भोजन में सुधार होना चाहिए। शहरी इलाकों में हमें किराए के 120 रु० मिलते हैं जबकि गांवों में हमें केवल 25 रु० दिए जाते हैं। रजियादानु ने बताया कि किस तरह एक या दूसरे बहाने को लेकर महिलाओं की छंटनी की जाती है।

दिल्ली में 8 सितम्बर को रैली

सम्मेलन की मुख्य अतिथि विमल रणदिवे ने अपने भाषण में महिला कार्यकर्त्ताओं और हेल्परों की असह्य परिस्थितियों के बारे में बताया। इन परिस्थितियों की वजह से ही पूरे देश के 14 राज्यों से 500 प्रतिनिधि आए। इन महिलाओं की समस्याओं को सीटू ने उठाया। राजीव गांधी पंचायत में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का, ज़मीन देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन ये काम हैं क्या ? एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को 250-300 रु० मिलते हैं और एक हैल्पर 110 रु० पाती है। उन्होंने पूछा कि क्या कोई भी आदमी इस "वेतन" पर जिंदा रह सकता है ? महिलाएं काम की तलाश में निकल रही हैं, चूंकि कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन उन्हें यही मिलता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को नसबंदी के केस लाने के लिए बाध्य किया जाता है। यदि वो नहीं ला पातीं तो बर्खास्तगी का खतरा मोल लेती हैं। कांग्रेस प्रशासन के शोषण का खात्मा होना ही चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे 8 सितम्बर को दिल्ली की रैली में बड़ी तादाद में आकर कांग्रेस शासन को चुनौती दें, जो वादे तो बहुत करता है, निभाता नहीं।

सम्मेलन में 30 सदस्यों की एक समिति चुनी गई जिसकी अध्यक्षा कामरेड पुष्पा शर्मा और महासचिव कामरेड चावला बनीं। सम्मेलन का अन्त एस०एफ०आई० द्वारा प्रस्तुत एक नाटक और एक प्रदर्शन से हुआ।

922 महिलाओं को जलाकर मारा गया

लोक सभा को सूचित किया गया कि 1988 में 922 से अधिक महिलाएं जलाकर मार दी गईं।

प्रोफेसर के० वी० थॉमस को दिए गए एक लिखित जवाब में गृहराज्य मंत्री श्री पी० चिदाम्बरम ने कहा कि 1961 का दहेज-प्रतिबंध कानून 1984 और 1986 में संशोधित किया गया है ताकि इसे और कठोर बनाया जा सके। भारतीय दंड संहिता, अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय प्रमाण ऐक्ट 1872 को भी संशोधित किया गया है जिससे कि दहेज-हत्याओं और विवाहित नारियों पर हो रहे अत्याचारों से निबटा जा सके।

राजधानी में अपराधों में वृद्धि

दिल्ली में भा० दं० सं० के तहत अपराधों की संख्या 1984 के 25,832 से बढ़कर 1985 में 28,013 हो गई है। श्री चिदम्बरम ने लोकसभा को बताया। पी० टी० आइ० के रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई 1989 तक 16,832 अपराध दर्ज किये जा चुके हैं—ऐसा उन्होंने कहा।

अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार-खोजी

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रोज़गार खोजियों की संख्या लाइव रजिस्टर के अनुसार, 1987 के के अन्त में में 45.24 लाख थी जबकि 1986 के अन्त में 44.66 लाख। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों में से 1987 में 72 हजार को काम मिला जबकि 1986 में 77 हज़ार को।

महिला रोजगार-खोजी

रोजगार दफ्तरों के लाइव रजिस्टर के अनुसार 1988 के अन्त तक 54.61 लाख महिलाएं काम के तलाश में थीं जबकि 1987 के अन्त में 53.73 लाख। 1988 के दौरान रोजगार दफ्तरों ने 55 हजार महिलाओं को काम पर लगाया।

इंडियन लेबर जर्नल
सितंबर, 1989

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायकों की आवाज संसद में गूंजी

कामरेड कनक मुखर्जी सांसद और कामरेड एम० हनुमंतराव ने 27 जुलाई '89 को संसद में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का मुद्दा उठाया, और विभिन्न केन्द्रों पर उनकी बदतर स्थितियों का जिक्र किया।

—संपादिका

श्री मोतुरु हनुमंतराव (आंध्र प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी महिलाएं जिन कठिन परिस्थितियों में पूरे देश में कार्य कर रही हैं, उनका विशेष जिक्र करने के लिए मैं उठा हूँ। महाशय, यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। एक समेकित बाल-विकास योजना सारी आंगवाड़ियों का पोषण कर रही है। और अब वे पूरे देश में बड़ी तादाद में हैं। लगभग दो लाख आंगनवाड़ी महिलाएं हैं। वे स्कूल के पहले की शिक्षा देती हैं और छः साल से नीचे के बच्चों का पोषण भी किया करती है। इस तरह हमारी भविष्य की पीढ़ियों का निर्माण कर वे राष्ट्र सेवा कर रही हैं। लेकिन उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। शायद यह जानकर आश्चर्य हो कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को प्रति माह 225 रु० से 300 तक मिलते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मातहत सहायक को 110 रु० प्राप्त होते हैं। वास्तव में उनकी कार्यदशा दयनीय है। कीमतें बढ़ रही हैं। इसे गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए। केन्द्र के द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है लेकिन इसे स्वयं सेवी संस्था कहकर पुकारा जा रहा है। इस तरह उनसे एक केन्द्र-प्रायोजित योजना के लिए स्वयं सेवियों की तरह कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन अब इसे नियमित कर दिया जाना चाहिए। वहां जमे हुए स्थापित कर्मचारी हैं जो एक महत्वपूर्ण काम में लगे हैं। इसी कारण यह जरूरी है कि मानव संसाधन मंत्रालय इन लोगों की तरफ और ध्यान दें। एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर सुनिश्चित किया जाय कि इन कामकाजी महिलाओं की स्थितियों में सुधार हो। कुछ आंगनवाड़ी महिलाएं तो बी० ए० पास हैं। काफी शिक्षित लोग हैं वहां। फिर भी उन्हें इतना कम वेतन मिलता है। विभाग दूसरी सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रखता। रहने की व्यवस्था को ही देखा जाए। आंगनवाड़ी महिलाओं को सड़े-गले घरों में रहना पड़ता है। ईंधन पर उनका काफी खर्च आता है, विभाग जिसका कोई हिस्सा वहन नहीं करता। वक्त आ गया है जब सरकार उनके वेतनमान का नियमित निर्धारण करे और उन्हें स्थायी सरकारी नौकर घोषित करें। उन्होंने खुद को संगठित करना शुरू कर दिया है। सीटू के दिशा निर्देशन में 22 और 23 अप्रैल को उन्होंने यहां एक सम्मेलन आयोजित किया और अपनी कुछ मांगें रखीं। 25 जून को आंध्र प्रदेश में ही एक सम्मेलन हुआ था। वे नारे लगा रही हैं, धरने दे रही हैं, मतलब यह कि खुद को संगठित कर रही हैं। हम महिला कल्याण की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। लेकिन यहां कहां है कल्याण ? इस कार्यक्रम में लाखों महिलाएं जुटी हुई हैं। लेकिन उनकी स्थिति बदहाल है। इसलिए हमें ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिससे उनके वेतन, बढ़ें, उनकी जिन्दगी में नियमितता आए। वे 600 रु० प्रतिमाह वेतन की मांग कर रही हैं। हालांकि 600 रु० भी काफी नहीं है। एक मजदूर की जो न्यूनतम आय की मांग की जा रही है, वह है 1050 रु०। लेकिन वे मात्र 600 रु० और अपने सहायकों के लिए 400 रु० की मांग कर रही हैं। जब तक महिला एवं बाल कल्याण विभाग इन मुद्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेता, हालात में सुधार नहीं होगा।

श्रीमती कनक मुकर्जी (प० बंगाल) :

महाशय, मैं यह जिक्रकरना चाहूंगी कि जिस सम्मेलन की चर्चा हमारे सहयोगी महाशय ने की, उसमें मैं मौजूद थी। वहीं मुझे पता चला कि ये महिलाएं किस तरह की जिंदगी जी रही हैं। उन्होंने अपनी मांगों का एक चार्टर बनाया। वे एक शिष्टमंडल लेकर प्रधान-मंत्री से भी मिलीं। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि जो प्रधानमंत्री महिलाओं की हालात पर आंसू बहाते हैं, उनके लिए चुनाव से

पहले 30 प्रतिशत आरक्षण की बातें करते हैं, उन्होंने उनकी मांगों को पढ़ना भी नहीं चाहा। उन्होंने टके-सा जबाब दिया, "ठीक है, यदि आप अपने वेतन बढ़ाना चाहती हैं, तो अपने सदस्यों की संख्या घटाइए। हमारे पास इसके लिए असीमित फंड नहीं है।" सरकारी योजनाओं में वे घोषणा करते हैं कि आई० सी० डी० एस० योजनाओं को विस्तार दिया जाएगा। एक ओर वे उसके विस्तार और उसमें महिलाओं को अधिकाधिक तौर पर जोड़ने के वादे करते हैं। दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपने सदस्यों को घटाओ तब ही वेतन में वृद्धि हो सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आई० सी० डी० एस० के केन्द्रों में कटौती की जाये। सरकार को आई० सी० डी० एस० कर्मचारियों के साथ इस तरह की उदासीन प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए, खासकर तब जब वह महिलाओं के उत्थान की, खासकर उनकी रोजगार-सुरक्षा की बात करती है। वे महिलाओं के संदर्भ में लंबी-चौड़ी बातें करते हैं, बड़े-बड़े वायदे करते हैं।

3 लाख आंगनवाड़ी महिलाएं, जिन्हें 110 और 125 रु० प्रति महीना मिल रहा है, की ओर प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार का यह रवैया अच्छा नहीं है।

तथ्यों के तोड़-मरोड़ पर दूरदर्शन केन्द्र के महानिदेशक के नाम खुला पत्र

महाशय,

दूरदर्शन ने 24 अगस्त के शाम वाले समाचार बुलेटिन में रिपोर्ट किया कि दिल्ली में उसी दिन महिलाएं और पंचायती राज पर हुए सेमिनार ने "संविधान के 64 वें संशोधन बिल का स्वागत किया है।" यहां सेमिनार के उद्देश्यों और बहसों को तोड़ा-मरोड़ा गया। जैसा कि प्रेस आकाशवाणी और दूरदर्शन को लिखे हुए हमारे पत्र जताते हैं सेमिनार का उद्देश्य था "पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी में संभावित बढ़ोत्तरी के कुल सामाजिक एवं राजनीतिक अर्थों का आकलन, कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी सीमाओं पर विचार, और सहायता सेवा की जरूरतें, यदि प्रस्तावित विस्तार का कोई सार्थक और सकारात्मक परिणाम होना है, की परीक्षा करना।"

पूरे दिन की बहस में किसी ने 64 वें संशोधन बिल की अनुशंसा नहीं की। हमारी पूरी बहस सीधे होने वाले चुनावों में महिलाओं के आरक्षण को लेकर उठे मुद्दों पर केन्द्रित थी, जिन्हें कई महिला संगठनों ने अगस्त 1988 में अनुशंसित किया था। सभी निर्णय लेने वाले पंचायती निकायों में अनिवार्य महिला साझेदारी के संदर्भ में की गई अनुशंसाएं ग्राम सभा और न्याय पंचायतों के लिए भी थीं, जिन्हें 64 वें संशोधन में शामिल नहीं किया गया। उसी तरह, संसाधनों को सुनिश्चित करने के संबंध में की गई अनुशंसाएं, और राज्य सरकारें जो पंचायत निकायों के संगठन और कार्यविधि पर कानून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, महिलाओं को मात्र कुछ कल्याण गतिविधियों तक सीमित न रखने की बात, की गई थी। दूसरी कुछ अनुशंसाएं महिला आंदोलनों को संबोधित थी, जैसे महिला संगठन, दूसरी स्वयं सेवी संस्थाएं जो जनस्तर पर कार्य कर रही हैं, तथा शैक्षिक संस्थाएं जो महिलाओं के अध्ययन और विकास से जुड़ी हैं:

इन अनुशंसाओं को आकार देते हुए, बहस में हिस्सा ले रही महिलाओं ने यह स्पष्ट किया कि वे पंचायती निकायों में बढ़नेवाली महिला हिस्सेदारी से जुड़े मुद्दों पर साफ समझ बनाना चाहती है।

सेमिनार का आयोजन किया था महिला विकास अध्ययन केन्द्र ने, जो एक स्वतंत्र शोध संस्थान है तथा जिसने अन्य, संगठनों के साथ इस मांग को पिछले वर्ष उठाया था। इस बहस के आयोजन के लिए केन्द्र ने सरकार या अन्य एजेन्सियों की मदद नही मांगी थी। बहस का दूसरा उद्देश्य था एक योजना के बारे से साफ समझ बनाना, जिसमें कई विद्वानों ने अपनी रुचि दिखायी है। कुछेक सरकारी अफसरों को उनकी निजी हैसियत से बुलाया गया था। फिर भी आपके रिपोर्ट ने कहीं भी केन्द्र का नाम नहीं लिया, बल्कि यह कहा कि सेमिनार में "सरकारी अफसर, महिला संगठनों और कुछ समाजिक शोधकर्ताओं ने भाग लिया।" वस्तुतः बहुसंख्यक शिरकत-

दार सामाजिक शोधकर्ताएं और कार्यकर्ताएं थीं, जिनकी क्षेत्र-स्तरीय स्थितियों और जटिलताओं की समझ से बहस में सबसे ज्यादा फायदा मिला। बहस के बाद उभरी आम सहमति यह थी कि यदि प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयित हो जाए तो न तो इसे बड़े आराम से लेने की जरूरत है और न उस पर बल्लियों उछलने की।

हम सूचनाओं के ऐसे तोड़-मरोड़ पर अपना प्रतिरोध दर्ज करती हैं। इससे लोगों को बहकाया जा सकता था, इसका हमारी विश्वसनीयता पर असर कर सकता था।

आपका विश्वासी

वीणा मजुमदार

महिला विकास अध्ययन केन्द्र

गांधी दर्शन में महिलाओं की दुर्दशा

गांधी दर्शन में, जिसे महात्मा के आदर्शों को सहेजने और प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था, महिलाएं अपने पुरुष सहकर्मियों के हाथों सतायी जा रही हैं एक वरीय महिला अधिकारी तक को नहीं छोड़ा गया।

इस बात की ओर उच्च महकमों का ध्यान कई बार आकर्षित किया गया है, लेकिन चूंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, दोषियों की मनमानी बढ़ी ही है।

आरोप लगाया जाता है कि कुछ महिलाएं इन लोगों के हाथों खेलती हैं, जबकि राजघाट के 30 एकड़ वाले विस्तृत प्रांगण में गड़ी महात्मा गांधी की मूर्ति एक मौन निराशा के साथ इस सत्यानाश को देखती है।

संस्था के वाइस-चेयरमैन बी०एन०पांडे ने, संपर्क करने पर स्वीकार किया कि वह जगह 'षड्यंत्रों का कुरुक्षेत्र' है। जब कभी शिकायत दर्ज की जाती है, तो गड़बड़ी फैलाने वाले बच निकलते हैं, चूंकि उनमें से अधिकतर 'राजनीतिक तौर पर नियुक्त' लोग होते हैं। वे खुले आम घोषणा करते पाये गये हैं कि उन्हें वाइस-चेयरमैन का वरदहस्त प्राप्त है। हलांकि श्री पांडे ने इस दावे को गलत बताया।

अन्ततः एक घटना ने अधिकारियों को बौखला दिया, उन्हें जांच गठित करने के लिए बाध्य कर दिया। यह घटना थी एक महिला कर्मचारी द्वारा एक पुरुष सहकर्मी को थप्पड़ रसीद करने की। उसने अपना दोष माना, लेकिन पागलों की तरह सुबकते हुए उसने अर्ज किया कि उस सहकर्मी ने उसके पति और अन्य लोगों के सामने ही उसकी इज्जत पर हाथ डाला। उसने छानबीन करने की मांग की, जिससे यह स्थापित हो सके कि उसे कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई।

इस घटना के बाद एक महिला परिचारिका के साथ बदसलूकी हुई। उसने और गाइड ने बाड़े से कुछ आम लिए थे। परिचारिका की बेइज्जती की गई, जबकि गाइड से एक सवाल भी नहीं किया गया।

जब अपने सहकर्मी को मारने पर हो रही जांच के दौरान महिला ने दोनों को सजा देने की मांग उठायी तो उसे कर्मचारियों के एक समूह ने धमकाया।

एक और महिला कर्मचारी पर जिसने विरोध करने की हिम्मत की, हमला किया गया। उसके अनुसार उसपर एक महिला कर्मचारी ने आक्रमण किया, जिसपर 'अपराधी तत्वों' की ओर से ऐसा करने का आरोप है। कर्मचारी को गहरा जख्म आया था, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और एक एफ० आई० आर० भी दर्ज की गईथी।

इन दो हमलों की जिम्मेदार महिला को बाद में निलंबित कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से यह सब किया गया, उसकी कुछ विचित्र दास्तां है। पहला, जिस महिला कर्मचारी ने अपने पुरुष सहकर्मी को थप्पड़ रसीद करने की बात कुबूल की उसे बिना किसी सूचना या चेतावनी के निलंबित कर दिया गया, जबकि उसके पास नौकरी का बेदाग रिकार्ड था। दूसरा, निदेशक श्री एस० एल० कौशल के द्वारा वाइस चेयरमैन को निलंबन के लिए बताए गए तीन लोगों में से मात्र दो के विरुद्ध कार्रवाई की गई। तीसरे आदमी, जिसके खिलाफ असंख्य मौकों पर शिकायतें की गई हैं, और जिसपर चार बार चार्जसीट जारी किया गया है, मात्र स्थानांतरण कर दिया गया—गांधी दर्शन से गांधी स्मृति—जहां गांधी ने अन्तिम सांस ली थी और जो संस्थान का मुख्यालय भी है।

जब श्री पांडे से पूछा गया कि इस संबंध में क्या किया जा रहा है तो उन्होंने कहा : यह गांधी का संस्थान है, हम किसी को दंड देने में विश्वास नहीं रखते। वे जाएंगे कहां ?" जब उन्हें याद दिलाया गया कि दो महिलाओं को तो निलंबित कर दिया गया है। तब उन्होंने कहा : "निदेशक ही नियोक्ता अधिकारी हैं, इसीलिए वही निलंबन अधिकारी भी हैं, वही बता पाएंगे।" हालांकि संस्था के उपक्रानून वाइस-चेयरमैन को ही सर्वोच्च अधिकारी मानते हैं।

ऐसी घटनाएं छिटपुट नहीं हैं। संस्थान की एक महिला निदेशिका, सुश्री रूक्मिणी भाटिया को, जिन्होंने 6 मई 1986 को ज्वाइन किया, छः महीने के अन्दर ही इन लोगों की हरकतों से छोड़ना पड़ा। गांधी दर्शन के कर्मचारी उन्हें एक सच्ची गांधीवादी, जिनमें उनके आदर्शों को फैलाने का उत्साह है कहते हैं। उन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कुर्सी से घसीटकर निकाला गया और निर्मम तौर पर बेइज्जत किया गया। वरीय अधिकारी इस दुखद घटना के बारे में बातचीत करने में आनाकानी कर रहे थे।

कुछ कर्मचारियों ने यह आरोप भी लगाया कि छोटी, मासूम लड़कियों को ये लोग काम देने के नाम पर फांस लाते हैं। मालती काम पाने की उम्मीद में, ऐसा कहा जाता है, लगातार दो साल तक यहां आती रही। एक और लड़की, खैर एक महिला कर्मचारी के द्वारा वक्त पर सावधान कर दी गई।

एक अधिकारी ने स्वीकार किया, कि वातावरण इतना गन्दा हो गया है कि किसी की भी व्यक्तिगत जिंदगी अनछुई नहीं छोड़ी जाती। इस संवाददाता से एक वरीय अधिकारी ने कहा कि कमरे में उसकी उपस्थिति मात्र से ही, बेनाम चिट्ठियों का एक सिलसिला चल पड़ सकता है जो प्रधानमंत्री तक जा सकता है, जो इस संस्थान के चेयरमैन हैं।

ये बेनाम चिट्ठियां अधिकारियों की कार्रवाई न करने के अनुत्साह का एक कारण है। "चाहे या न चाहे, हम सबों को चिट्ठियों की बात सोचनी ही पड़ती है।" एक अधिकारी ने कहा। "यह तथ्य कि हम उन्हें पढ़ते हैं, अपनी नींदें खो देते हैं, कभी-कभी जांच भी करते हैं, यह दिखलाता है कि अपने उद्देश्यों में सफल हो रहे हैं।" सच तो यह है कि यहां आने पर ही, अधिकारियों को इन चिट्ठियों से बचने के लिए अगाह कर दिया जाता है।

जांच को लेकर संस्थान पर स्पष्टतः तनाव का वातावरण है और अधिकारीगण नाखुश हैं। कोई भी खुला वक्तव्य देना नहीं चाहता "क्योंकि ऐसा न हो उन्हें बाद में पीट दिया जाए।" निदेशक को ही कई धमकियों भरे पत्र मिल चुके हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया, 4 अक्टूबर '89

पृष्ठ 17 का शेष

और सहायक क्लर्कों के पद बनाये जायं।

(7) नर्सों पर खून चढ़ाने या खून के नमूने इकट्ठे करने का भार नहीं दिया जाय।

(8) मरीजों को ऑपरेशन कक्ष से लाने ले जाने की जिम्मेदारी नर्सों की नहीं होनी चाहिए। इस काम के लिए पर्याप्त संख्या में सेवक बहाल होने चाहिए।

(9) नर्सों को उच्चतर पेशेवर योग्यता हासिल करने का विकल्प दिया जाना चाहिए और उन्हें वेतनवृद्धि के लाभ मिलने चाहिए।

(10) नर्सों की शादी के बाद, उन पर निर्भर लोगों की चिकित्सा-सुविधा पर रोक नहीं लगनी चाहिए।

(11) सभी वार्डों में पर्याप्त सेवक और सफाई कर्मचारी होने चाहिए।

(12) कुछ अस्पतालों में मिल रही अच्छी सुविधाओं को अन्य अस्पतालों में भी आमतौर पर लागू किया जाय।

(13) नर्सिंग स्टाफ के लिए काल निर्धारित प्रोन्नति के द्वार खोले जाएं।

(14) मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश नर्सों के लिए बेहतर सेवा-स्थितियों और बेहतर चिकित्सकीय देखभाल के लिए लागू की जाएं।

कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर ५ वाँ विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन

1. कामकाजी महिलाओं की समस्या पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बल्गारिया की राजधानी सोफिया में 26 से 28 सितम्बर 89 को हुए सम्मेलन में 79 देशों से 105 ट्रेड यूनियन संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए, 172 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने यूनेस्को, एफ. ए.ओ., अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, डब्ल्यू०आई०डी०एफ० और कामकाजी महिलाओं की सदस्यों से संबद्ध दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

2. विभिन्न देशों और सामाजिक क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधियों, जो अलग-अलग किस्म और दिशा के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से थे, के लिए विश्वभर की कामकाजी महिलाओं की फौरी समस्याओं पर आपस में बातचीत करने का अवसर इस सम्मेलन ने प्रदान किया। वहां हुई खुली और फलप्रद बहस ने साबित कर दिया कि, अलग-अलग पृष्ठभूमियों के बावजूद, मानव मात्र की शांति, विकास और सामाजिक उन्नति की एक सामान्य आकांक्षा है। वर्तमान में चल रहे संघर्षों की विशेषताएं यह बताती हैं कि सामाजिक उन्नति, समता और नारी मुक्ति की मंजिल तक पहुंचने के लिए सहयोग और एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन की जरूरत है।

3. प्रतिनिधियों का विश्वास था कि जनवादी विकल्प के लिए और विकास नीति के एक पर्याप्त सामाजिक आयाम के लिए संघर्ष, मजदूर वर्ग के असरदार तरीके की कार्रवाइयों के माध्यम से ही, पूरा किया जा सकता है। यह कामकाजी मजदूरों, महिलाओं और ट्रेड यूनियनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसी सामाजिक नीतियां जो विश्व जनसंख्या के आधे से अधिक के हिस्से की पहुंच के बाहर है, नहीं चल सकतीं। विज्ञान और टेक्नॉलाजी के विकास और शांति और निरस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों से, आम लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना की जा सकती है। यह नया संदर्भ ज्ञान और प्रशिक्षण के द्वारा नारी-मुक्ति, जिम्मेदारी के हरेक स्तर पर उनकी शिरकत की प्रक्रिया के माकूल है।

4. इस संदर्भ में, भाग लेने वालों ने गौर किया, ट्रेड यूनियन कार्रवाई और संघर्षों के फलस्वरूप कई दिशाओं में मिली सफलता के बावजूद, कई देशों की कामकाजी महिलाओं के साथ मजदूरी, काम और प्रोन्नति के मामले में भेदभाव बरता जाता है। उनकी छंटनी सबसे पहले होती है, खतरनाक कार्य स्थितियों और घटाव-बढ़ाव का पहला शिकार वही होती हैं।

5. उनके रहन-सहन के स्तर और आवश्यक सुविधाओं के अभाव का मतलब यह है कि उन्हें उन पेशेवर-प्रशिक्षण और काबिलियत से अलग रखा जाता है, जो बदलाव के संदर्भ में निहायत जरूरी हैं।

6. साथ ही, काम और पारिवारिक जिम्मेवारियों का संतुलन बिठाने वाले सामाजिक उपादान, उनकी जरूरतों के मुताबिक नहीं हैं। ट्रेड यूनियन संगठनों को इन अंतविरोधों का जायजा लेना चाहिए और कामकाजी महिलाओं की इन जरूरतों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी को उन्हें तरजीह देनी चाहिए।

7. सम्मेलन ने कामकाजी महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों के चार्टर की भूमिका को फिर से पुष्ट किया। इसे कामकाजी महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन समुदाय आधार के रूप में इस्तेमाल करता रहे। सम्मेलन ने वर्तमान परिस्थितियों और जरूरतों के मुताबिक तैयार किये गये चार्टर के एक नये संस्करण को अंगीकृत किया। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भेजे गए संदेशों को भी अंगीकृत किया गया।

8. प्रतिनिधियों ने माँग की कि समाज में कामकाजी महिलाओं की हैसियत और भूमिका की पहचान, कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की तरह न होकर, एक सामाजिक जरूरत के रूप में की जानी चाहिए, जिससे कि महिलाओं की पहचान मजदूर और माँ के रूप में हो सके, परिवार और आने वाली पीढ़ी के निर्माण में उनकी गुरुतर जिम्मेदारियों को समझा जा सके।

(शेष पृष्ठ 22 पर)

प० बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार की उपलब्धियां

प० बंगाल में जनता के जनवादी और ट्रेड यूनियन संबंधी अधिकार फल-फूल रहे हैं। एस्मा (ESMA) जैसे काले कानून यहां हैं ही नहीं। किसी को राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार नहीं किया जाता।

प० बंगाल जातिगत एवं सांप्रदायिक कलहों से मुक्त है : अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस राज्य को शांति का सुरक्षित स्वर्ग मानते हैं। महिलाओं पर अत्याचार के बहुत कम उदाहरण यहां मिलेंगे, खासकर तुलना अगर देश के स्तर पर की जाय।

कानून और व्यवस्था में प० बंगाल का इतिहास अनुकरणीय है। अपराध दरें नगण्य तौर पर नीची हैं : दंगे एकदम नहीं होते। जी० एन० एल० एफ० समस्या के राजनीतिक समाधान के बाद दार्जिलिंग में शांति कायम हो गई है।

भूमि पुनर्वितरण के सुधारों के मामले में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गयी हैं। 12.57 लाख एकड़ सीलिंग से अधिक कृषि योग्य भूमि सरकार को सुपुर्द की जा सकी है (और यह आंकड़ा इस तरह से ली गई देश की कुल भूमि का छठवां हिस्सा है)। इस सुपुर्द जमीन से 8.60 लाख एकड़ देहाती गरीबों और भूमिहीनों को दिया जा चुका है। और यह आंकड़ा देश की कुल वितरित जमीन का 21 प्रतिशत है। कुल मिलाकर अब तक, 18 लाख से अधिक भूमिहीन किसानों को लाभ पहुंचा है—और लगभग 14 लाख अधियारों या बरगादारों (बटाईदारों) के अधिकार पंजीकृत किए गये गये हैं। और ऐसे आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है।

पुनर्वितरण संबंधी भूमि-सुधारों ने अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचाया है। सरकार द्वारा सीलिंग से अधिक जफ्तशुदा जमीन लेने वालों में लगभग 56 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं। उसी तरह पंजीकृत बरगादारों (बंटाईदारों) में 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं, जबकि 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों की। 1987-88 में 103 लाख टन की सबसे बड़ी ऊंचाई छूने के बाद, अनाजों का उत्पादन हमेशा बढ़-चढ़ कर हुआ है। अभी, यह राज्य देश की आबादी की खाद्य जरूरतों का 8 प्रतिशत उत्पादित करता है जबकि इसका क्षेत्र पूरे देश के भूगोल का केवल 2.7 प्रतिशत है।

तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत) के लिए युवामताधिकार के आधार पर नियमित चुनाव कराके राज्य ने लोकस्तरीय जनवाद को मजबूत बनाया है।

राज्य के सभी 116 शहरी स्थानीय निकायों में बराबर चुनाव होते रहे हैं, और साझेदारी के जनतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा की गई है। राज्य ने 1978 में ही मताधिकार की उम्र-सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। और देश के पैमाने पर इसका महत्त्व आज समझा जा रहा है।

योजना बनाने और योजना लागू करने की दिशा में निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को आर्थिक और प्रशासन संबंधी अधिकार दिये गये हैं। और यह दिखाया गया नमूना, लोगों के हितों में विकेन्द्रीकरण के लिए अपनाने लायक है। राज्य योजना बजट का 50 प्रतिशत जिलों को दिया जाता है। विकेन्द्रीकृत योजना के दो स्तर हैं—प्रखण्ड-स्तर और जिला-स्तर। और यह पद्धति राष्ट्रीय योजना के स्तर पर, आजकल

विकेन्द्रीकरण पर दिये जा रहे जोर के बहुत पहले से ही यहां लागू है।

बिजली को प्राथमिक सैक्टर का दर्जा दिया गया है, और यह पूरे योजना-प्रारूप का एकतिहाई हिस्सा है। तारकेश्वर बिजलीघर परियोजना को, केन्द्र के पक्षपातपूर्ण और वंचित रखने के रवैये के विरोध में चुनौती समझकर लिया गया है।

हल्दिया पेट्रो-रसायन उद्योग को स्वीकृति देने में केन्द्र के टालमटोल के रवैये से इस बहुत ही जरूरी कार्य में अनावश्यक गतिरोध पैदा हो रहा है।

फिर भी, राज्य सरकार ने आकर्षक प्रोत्साहन देकर औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देने का साहसिक कार्य किया है। साल्ट लेक का इलेक्ट्रानिक काम्प्लेक्स राज्य सरकार के प्रयासों का चमकता नमूना है।

कुटीर तथा लघु-उद्योग इकाइयों में शानदार उपलब्धियां हासिल की गई हैं। अभी राज्य में तीन लाख से ज्यादा लघु-औद्योगिक इकाईयां जम कर काम कर रही हैं।

उत्तरी बंगाल की तिस्ता बांध परियोजना, जो भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजनाओं में से एक है, केन्द्रीय सरकार की समुचित मदद के बगैर भी लागू की जा रही है।

स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं लोगों तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचायी जा रही है। इस योजना के तहत 8126 उप-केन्द्र, 1192 स्वास्थ्य केन्द्र, 76 ग्रामीण अस्पताल, 60 राज्य, सदर और विशेष अस्पताल काम कर रहे हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेजों और स्नातकोत्तर संस्थाओं से जुड़े कोई 11 अस्पताल भी कार्यरत हैं।

राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत वैधानिक राशनिंग क्षेत्रों में 2745 राशन की दुकानें हैं, और ग्रामीण इलाकों में 17045 उचित मूल्य की दुकानें हैं। यह देश की ऐसी सबसे बड़ी व्यवस्था है।

मत्स्यपालन उद्योग में, प० बंगाल भारत के कुल जीरे की जरूरतों का 75 प्रतिशत देता है। यह देश को खाने की मछलियों की एक तिहाई आपूर्ति करता है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में उच्चतम उत्पादकता के लिए राज्य को लगातार तीन साल से इनाम मिल रहे हैं।

12वीं क्लास तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। राज्य सरकार की योजना है कि हरेक गांव में कम-से-कम एक स्कूल हो, और इसे लागू करने के लिए वह प्रयासरत है।

बेरोजगार युवकों के लिए कई प्रकार की स्वरोजगार योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। ये हैं पंजीकृत बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना (SESRU), SSEP लघु उद्योग नए उद्यमी योजना तथा एडिशनल एम्लाईमेंट प्रोग्राम (AEP)।

राज्य का सांस्कृतिक क्षितिज रंगारंग कार्यक्रमों से जगमगाता रहता है। नंदन, (राज्य फिल्म सेंटर), रूपायन (रंगीन फिल्म एवं ध्वनि मुद्रम प्रयोगशाला), बंगला अकादमी, नेपाली अकादमी, उर्दू अकादमी, नाट्य अकादमी और संगीत अकादमी आदि संस्थाएं कई ढंग से लोगों की सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। नेपाली और उर्दू को राज्य में सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया है। संथाली भाषा के विकास के लिए आल्चिकी को एक अलग लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। युवा भारती क्रिड़ांगन स्टेडियम (क्षमता-1 लाख) एशिया के विशालतम स्टेडियमों में से एक है। विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी का एक अलग विभाग स्थापित किया गया है।

ICA 3819/1 (2)

पश्चिम बंगाल सरकार

आंगनवाड़ी महिलाओं का धरना

उदयपुर : न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आंगनवाड़ी महिला कामगार यूनियन की उदयपुर ईकाई ने 21 सितम्बर को सीटू साथियों के साथ मिलकर उदयपुर जिला कलेक्ट्री के सामने एक-दिवसीय धरना दिया। दैनिक वेतन 35 रु० यानि 1050 रु० प्रतिमाह की न्यूनतम वेतन का लागू करने की मुख्य मांग के अलावा उनकी मांगें थीं : जब तक सभी कामगारों को स्थायी कर दिये जाने का फैसला नहीं लिया जाता, तब तक कार्यकर्त्ता को 600 रु० और सहायिका को 400 रु० मासिक वेतन दिया जाय; अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह इन्हें भी सारी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ; प्रमोशन पॉलिसी लागू किया जाय; त्योहार बोनस दिये जाएँ इत्यादि।

इन मांगों के समर्थन में, पूरे दिन भर के धरने पर बैठे 60-70 साथियों ने लगातार नारे बुलंद किये। इस धरने में जिला सीटू के अध्यक्ष कामरेड आयलदास पी० एल० सागर, क० बस्ती फेडरेशन के अध्यक्ष साथी भँवरलाल जी बाबर डी० वाई० एफ० आ०ई० के जिलाध्यक्ष एम०एल० खोखावत, जे. के. टायर कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष बंशीलाल कलाल और आंगनवाड़ी महिला कामगार यूनियन की अध्यक्षा, कामरेड पुष्पा जी शर्मा 33 सदस्यों की जिला कमेटी सहित मौजूद थे। अन्त में एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिलाधीश से मिला, जिन्हें प्रधान-मन्त्री, मानव संसाधन मंत्रालय, और राज्य महिला, विकास और पोषाहार निदेशक के नाम के ज्ञापन दिए गए। स्थानीय समस्याओं जैसे, समय पर वेतन न दिये जाने, नाजायज दबाव दिये जाने तथा पोषाहार के अनुचित वितरण आदि पर जल्दी ही यूनियन और बाल. विकास विभाग उपनिदेशक की संयुक्त मीटिंग बुलाने का आश्वासन दिया गया।

धरने की समाप्ति 5 बजे शाम को, पुनः गगनभेदी नारों के बीच हुई।

हरियाणा : अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की आह्वान पर हरियाणा आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की कार्यकर्त्ताओं ने, 10 जुलाई को डी.ई.डी.सी. कार्यालय पर, अपनी मांगों को लेकर, धरना दिया। धरने में प्रत्येक जिले से वर्कर्स की हिस्सेदारी इस प्रकार रही—

1. हिसार	85	5. अम्बाला	200	9. जीन्द	50
2. करनाल	90	6. कुरूक्षेत्र	80	10. महेन्द्रगढ़	40
3. सोनीपत	30	7. गुड़गांव	275	11. भिवानी	30
4. रोहतक	50	8. सिरसा	350	12. फरीदाबाद	35

इस तरह कुल मिलाकर 1295 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं ने इस धरने में शिरकत की।

कृषि-क्षेत्र में महिलाएँ

भारत के सभी राज्यों में महिला खेतिहर मजदूर आम तौर पर और अनिवार्य तौर पर पुरुष मजदूरों की तुलना में कम मजदूरी पाती हैं। वे बोने, काटने, गोड़ने चुनने, जमा करने, ओसाने, बाँधने, खाद और कीड़ा नाशक डालने, और सिंचाई करने आदि के अनेकों काम करती हैं। वे कपास, जूट अनाज, दाल, तम्बाकू मिर्च, सब्जी आदि के खेतों और गन्ने तथा केले के बगानों में लगी हुई हैं।

इस तरह के तमाम कार्यों को हल्के, अदक्ष श्रेणी में रखा जाता है, हलाँकि इन्हें करने में काफी कठिन प्रयासों, दिमागी संतुलन और बारीकी की जरूरत पड़ती है। भू-स्वामी महिला मजदूरों को ही प्राथमिकता देते हैं, चूंकि वे अनुशासित, और कर्मठ हैं और कम मजदूरी पर ही उपलब्ध हैं। उनके श्रम का उत्पादन किसी भी मायने में पुरुषों के श्रम-उत्पादन से कम नहीं होता।

इसलिए महिला मजदूरों को भी उतनी ही मजदूरी मिलनी चाहिए जितनी पुरुषों को। लेकिन पारंपरिक प्रथाओं के चलते, महिलाओं और खासतौर पर सामाजिक

शोषण की शिकार अनुसूचित जाति की महिला कामगारों के प्रति विषम दृष्टिकोण रखने की प्रवृत्ति और अपने वर्ग-हित में उनकी मजदूरी को जानबूझकर कम रखे रहते हैं। पुरुष मजदूर भी महिलाओं को अपने समकक्ष मानने से इन्कार करते हैं, और मजदूरी में विषमता होगी ही, मान-कर चला जाता है।

ग्रामीण महिलाएँ, जिन्हें दूसरे जिलों या राज्यों में (जैसे बिहार/उ०प्र० से पंजाब और महाराष्ट्र से गुजरात) काम की तलाश में जाना पड़ता है, काफी दयनीय ज़िन्दगी जीती हैं, और हरेक तरह का कष्ट झेलती हैं। गन्ने क्षेत्र में काम करने के लिए बड़ी तादाद में परिवार जाते हैं और महिलाओं को दिन रात वहाँ गन्ना काटना पड़ता है। उन्हें खुले आकाश के नीचे, खेतों में रहना पड़ता है। कई बार मजदूरिनें, जमींदारों, ठेकेदारों, उनके गुण्डों और पुलिस की हवस का शिकार होती हैं। यह अत्याचार एक सामान्य घटना है और असहाय मजदूरिनों की रक्षा का कोई उपाय नहीं है।

नांगल के नर्सरियों में काम करने वाली महिलाओं की पुरूषों के समान ही, 14 या 18 रु० मजदूरी मिलती है। लेकिन धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का बाजार यहाँ भी गर्म है। नीचे की सूची से विभिन्न राज्यों में महिला मजदूरी की विषमता साफ हो जाएगी।

राज्य	वैधानिक न्यूनतम मजदूरी	वास्तविक मजदूरी	
		पुरुष	महिला
उत्तर प्रदेश	15 रु० से 16.50	4 से 5 कि०	4 कि. गेहूँ
बिहार	12 रु०	10 रु०	4 या 5 रु०
पंजाब	25 रु०	15 से 25 रु०	8 से 12 रु०
केरल	15 रु० पुरुषों को 12 रु० महिलाओं को (मौसम में)	20 से 40 रु०	12 से 26 रु०
उड़ीसा	11 रु०	6 से 8 रु०	4 से 6 रु०
महाराष्ट्र	12 से 20 रु०	10 से 20 रु०	6 से 14 रु०
आंध्र प्रदेश			7 से 10 रु०

उद्योग में महिलाएं

तम्बाकू उद्योग में अपनी मांगों के लिए लड़ती महिलाएं

(यह लेख कामरेड सूर्या सलाउखे द्वारा प्रस्तुत, "जीवन मार्ग" के 16 जुलाई 1989 के अंक में आए समाचार-अंश पर आधारित है —संपादिका

तम्बाकू से संबद्ध विज्ञापनों को पढ़ना एक मजेदार अनुभव है। कुछ विज्ञापन कहते हैं "धूम्रपान हानिकारक है, यह कैंसर को न्योता देता है।" "तम्बाकू छोडिए और अपना स्वास्थ्य सुधारिए", "धूम्रपान करके कैंसर मत पालिए" आदि-आदि। दूसरी ओर, अभिनेताओं के चित्र-वाले आकर्षक विज्ञापन कॉलम प्रचारित करते जाते हैं कि "धूम्रपान एकमात्र दवा है, यह आपकी प्यास बुझाता है, ऊर्जा प्रदान करता है," आदि। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि किसी भी ढंग से तम्बाकू लेना लोगों के लिए हानिकारक है। लेकिन किसी ने कभी तम्बाकू में काम करनेवाली महिलाओं के बारे में भी सोचा है? उनकी स्थितियाँ और वेतन क्या हैं, और क्या उन्हें न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत पैसे मिल रहे हैं? क्या उन्हें कैंसर, टी० बी० आदि से बचाया जा सकता है और 20-25 साल तक तम्बाकू में काम करने के बाद उनका भविष्य क्या होता है?

आधुनिक मशीनों ने त्रासदी बढ़ायी

महाराष्ट्र में तम्बाकू के 100 से 150 छोटे-बड़े गोदाम हैं। हर गोदाम में, जो बड़ी चारदीवारियों से घिरे होने की वजह से जेल लगता है, 1000 से 2000 औरतें काम कर रही हैं। कोई 10-15 साल पहले वहां आधुनिक मशीन लगाए गए और ढेरों महिलाओं की छंटनी हुई। जहां पहले 30-40 औरतें काम करती थीं; अब 5-10 औरतें ही लगी हैं। आधुनिक मशीनों के लगने से आंध्र-प्रदेश की तम्बाकू फैक्टरियों में लगी हजारों महिलाओं के

लिए त्रासद स्थिति बन गई। पिछले 8-10 वर्षों में, मुश्किल से कुछ महिलाएं वहां हैं। जयसिंहपुर, महाराष्ट्र में लगाई गई हॉपर और कटर मशीनों को तम्बाकू तैयार करने के लिए केवल 5 औरतों के काम की जरूरत है। इस तरह सैकड़ों औरतें छंटनी का शिकार होकर कहीं और काम की तलाश में लगी हैं।

स्वास्थ्य के भयानक जोखिम

जब मशीनें तम्बाकू तैयार करने का काम शुरू करती हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा कमरा धुएं की शक्लवाली धूल से भर जाता है। धूल औरतों के चेहरों, साड़ियों पर जम जाती है, यहां तक कि उन्हें सामने काम करती औरत का चेहरा नहीं दीखता। वे अपनी साड़ियों से मुंह-नाक बन्द-कर ऐसे ही वातावरण में 10-12 घण्टे तक काम करने की कोशिश करती हैं। तम्बाकू तैयार करनेवाली मशीनों की उगलती गर्द को लगातार श्वास से अंदर लेनेवाली इन महिलाओं की कोई सुरक्षा है? स्वास्थ्य जोखिमों पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन के प्रस्ताव क्या भारत सरकार द्वारा अमल में लाए जा रहे हैं? टी० बी० और फेफड़े के दूसरे रोगों से उन्हें बचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या महाराष्ट्र सरकार बता सकती है कि अन्त-र्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रस्तावों का वह पालन कर रही है? जो लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, कैंसर और टी० बी० के शिकार हो चुके हैं।

कार्य-स्थितियां

और उनकी मजदूरी? मई 1986 में महाराष्ट्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी की घोषणा के बाद भी, महिला तम्बाकू मजदूरिनों को 12 घण्टे प्रतिदिन काम करने पर 10 रुपये मिलते हैं। घोषित न्यूनतम मजदूरी इतनी कम है कि उससे एक आदमी को एक समय का भी खाना मयस्सर नहीं हो।

महिलाएं रात्रि-शिफ्टों में भी काम करती हैं

ऐसा लगता है तम्बाकू मालिक सारे कानूनों को ताक पर रखकर चलते हैं। कानूनी प्रतिबन्धों के बावजूद औरतें यहां नाइट-शिफ्टों में भी काम कर रही हैं। उन्हें, पी० एफ०, मातृत्व-अवकाश, बोनस, आकस्मिक या स्वास्थ्य छुट्टियां, ग्रैच्युइटी और मजदूरों को उपलब्ध दूसरे लाभ नहीं मिलते। आश्चर्य की बात है कि कानून लागू करने-वाली एजेंसियों को न्यूनतम मजदूरी ऐक्ट के तहत मालिकों के वेतन न देने के बारे में 'पता' नहीं है। इतना ही नहीं, औरतों को इस तरह से गोदामों में लगाया गया है कि वे दूकान प्रतिष्ठान ऐक्ट के अन्दर नहीं आतीं। याद करने की बात है कि अब 1976 में समान वेतन ऐक्ट अस्तित्व में आया, तो प्लांटेशन मालिकों ने महिलाओं को 'बी' ग्रेड में और पुरुषों को 'ए' ग्रेड में अलग-अलग रख दिया ताकि बराबर वेतन देने से बचा जा सके।

मालिकों की जबर्दस्त आमदनी

जहां तम्बाकू-मालिकों ने कोल्हापुर शहर जैसे आली-शान भवन बना लिए हैं, अधिकांश महिलाएं दूसरी जगहों पर, झुग्गी-झोपड़ियों में रहती हैं। तम्बाकू-व्यापारी किसानों से 15-18 रुपये किलो की दर से तम्बाकू खरी-दते हैं और 30 रुपये प्रति किलो की दर से बेचते हैं। किसानों और महिलाओं का शोषण करके कितना मुनाफा कमाया जाता है इसका आसानी से अन्दाजा लगाया जा सकता है।

महिला कामगारों ने संघर्ष की शुरुआत की

अब महिलाओं ने आगे बढ़कर, न्यूनतम वेतन 500 रुपये वेतन, डी० ए०, मातृत्व अवकाश, प्रॉविडेन्ट फंड और बोनस की अपनी मांगों के लिए संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है। उन्होंने तम्बाकू उद्योग के स्वास्थ्य जोखिमों से सुरक्षा की मांग को भी उठाया है। कोल्हापुर के लाल झंडा यूनियन के तहत महिला कामगारों ने अपनी मांगों की लड़ाई के लिए और मालिकों के हाथों सामंती दासत्व के खिलाफ, अपने आपको संगठित किया है।

हाल में, नारायण बादलावा नामक एक मालिक ने एक औरत को एक गोदाम में गालियां दीं, जब औरतों ने उसके फिकरों का विरोध किया सभी गोदामों में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और महिलाएं, फौरी तौर पर काम छोड़कर बाहर निकल आईं। वे जयसिंहपुर पुलिस स्टेशन गईं, उन्होंने शिकायत दर्ज किया और बदलावा के घर उसका घेराव करने पहुंचीं। अन्ततः मालिक को महिलाओं से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। इस तरह जयसिंहपुर तम्बाकू उद्योग की महिलाएं, लाल झंडे के नीचे संगठित हो अपनी उचित मांगों के लिए उठ खड़ी हो रही हैं।

इस्पात उद्योग की नर्स कर्मचारियों से अपील

भारतीय इस्पात मजदूर संगठन की ओर से 27 अगस्त, 1989 को, दुर्गापुर में इस्पात उद्योग की नर्स कर्मचारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन ने इस्पात अस्पताल में नर्सों की भीषण परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। हालांकि इस्पात उद्योग में 1300 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ लगे हुए हैं, उन्हें उचित ग्रेड और वेतनमान नहीं मिलता, पदोन्नति के अवसरों और अच्छी कार्य-स्थितियों का अभाव है।

भारत के अस्पताली कर्मचारी एक वंचित संगठन हैं और इसलिए उनके कष्टों को हल करने वाला कोई तन्त्र नहीं। अस्पताल कर्मचारी और अन्य संस्था ऐक्ट संगठन बनाने के उनके मौलिक अधिकार पर प्रहार कर रहा है और सम्मेलन इस कानून की निंदा करता है।

सेल मैनेजमेंट का नया सर्कुलर जिसके तहत नर्सिंग स्टाफ को धुलाई खर्च 50, रुपये और वर्दी खर्च 350 रुपये आमतौर पर मिलेगा, उनका माखौल उड़ाता है। उन्हें रहने की सुविधा, पर्याप्त छुट्टियां, सम्मानजनक नर्सिंग भत्ता, शादी के बाद परिवार के लोगों की चिकित्सा पर्याप्त परिवहन सुविधा और असामाजिक तत्वों से सुरक्षा की सुविधा नहीं दी जाती है।

नर्सिंग स्टाफ की कुल संख्या, इस्पात अस्पताल की जरूरतों से काफी कम है, जिससे उनका कार्यभार काफी बढ़ जाता है। कई नर्सों को अलग से, दूसरे काम भी, जैसे क्लर्क का काम, खून चढ़ाने, और खून जमा करने भी निबटाने पड़ते हैं।

सम्मेलन ने इस्पात उद्योग की नर्सिंग स्टाफ की मांगों को उठाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम को लागू करने का निश्चय किया है :—

27 सितम्बर को अखिल भारतीय इस्पात नर्सिंग स्टाफ दिवस के रूप में, बैज, पहन के प्रदर्शन करके, मनाया जाना।

नर्सिंग स्टाफ की मांगों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्लांट स्तर के सम्मेलन का आयोजन।

आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सम्मेलन ने तय किया कि इस्पात उद्योगों की नर्सों की एक अखिल भारतीय संयोजन-समिति बनायी जाए, चाहे उनके राजनीतिक सम्बन्ध कुछ भी हों।

सम्मेलन ने सभी इस्पात मजदूरों से नर्सिंग स्टाफ की उचित मांगों को समर्थन देने की अपील की, जिससे कि उन्हें इस्पात उद्योग में रहने और काम करने की सम्मानजनक स्थितियां मिलें।

इस्पात उद्योग की नर्सों की मांगों का चार्टर

(1) अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुसार इस्पात अस्पतालों में मरीजों और नर्सों का अनुपात 3:1 होना चाहिए। इस हिसाब के लिए चालू बिस्तरों की वास्तविक संख्या का विचार किया जाना चाहिए।

(2) नर्सिंग स्टाफ को अभी दिये जा रहे वेतनमान उनकी पेशेवर योग्यता, दक्षता और उनको दी गई जिम्मेदारियों के हिसाब से कम हैं। नर्सों की अलग श्रेणियों के लिए उच्चतर वेतनमान यानि एन 6, एन 7, एन 8 लागू किये जाने चाहिए। नर्स प्रशिक्षणार्थियों की स्टाईपेंड, कम से कम वरीय आपरेटिव प्रशिक्षार्थियों के बराबर होनी चाहिए।

(3) वर्दी भत्ता बढ़ाकर 1500/- होना चाहिए।

(4) धुलाई खर्च बढ़ाकर 100/- प्रति महीना कर दिया जाना चाहिए।

(5) नर्सिंग भत्ता (विशेष भोजन शुल्क, जुदा शिफ्ट, 48 घंटे की साप्ताहिक ड्यूटी और खतरे से संबद्ध) 200/- प्रतिमाह होना चाहिए।

(6) नर्सों को क्लर्की के और दूसरे कामों से मुक्त किया जाना चाहिए। हरेक वार्ड के लिए वार्ड मास्टर

शेष पृष्ठ 10 पर

पेटीशन्स कमेटी ने विमान परिचारिकाओं की सेवा-निवृत्ति की आयु पचास वर्ष करने की सिफारिश की

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में कार्यरत परिचारिकाओं द्वारा दिया गया आवेदन, जिसमें महिला कर्मचारियों के विरुद्ध लिंग पर आधारित भेदभाव का आरोप है, लोकसभा में सांसद श्रीमती विभा घोष गोस्वामी ने 2 मई 1989 को प्रस्तुत किया।

आवेदन कर्त्ताओं की दो मुख्य शिकायतें हैं :—

(1) केबिन कर्मचारियों सहित सभी पुरुष कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी। लेकिन, केबिन कर्मचारी की हैसियत में काम करने वाली विमान परिचारिकाओं के लिए आयु सीमा 35 वर्ष हुआ करती थी, जिसे चिकित्सकीय स्वास्थ्य/योग्यता के आधार पर 45 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। यह फर्क, आवेदकों के अनुसार मात्र लैंगिक आधारों पर आधारित है, अतः हटा दिया जाना चाहिए।

(2) एयर इंडिया में, विमान परिचारिकाएं उड़ान-निरीक्षकों की तरह काम नहीं कर सकती थीं क्योंकि केबिन कर्मचारी मैनुअल का प्रावधान था कि केवल फ्लाइट पर्सर ही जो पुरुष होते हैं, केबिन के चार्ज में हो सकते हैं।

कमेटी का मानना है कि विमान परिचारिकाओं की ये मांगें नई नहीं हैं और इन्हें या तो कोर्टों या इनकी जांच करने वाले विशेष ट्रीब्यूनल के सामने लाया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदकों की ओर से दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए, इन्हीं मुद्दों, जिन्हें आज इतने व्यापक तौर पर उठाया जा रहा, उसकी सुनवाई की। 1981 में अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने दो टूक शब्दों में कहा कि विभिन्न परिस्थितियों, कार्य-परिस्थितियों प्रोन्नति अवसरों आदि के मामलो में, पुरुष कर्मचारी और विमान परिचारिकाएं दो अलग-अलग वर्ग हैं और इसलिए विमान परिचारिकाओं के विरुद्ध भेदभाव जैसी नीति बरतने का कोई सवाल ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की धारा 14 शत्रुतापूर्ण भेद-भाव को रोकने के लिये है, न कि तर्क-धारित वर्गीकरण को और इसलिए विमान परिचारिकाओं की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा या कार्य-परिस्थितियों का पुरुषों की तुलना में देखना इतना पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है कि संविधान की 14 वीं धारा का उल्लंघन हो जाय।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सेवा के वे नियम भी पक्षपातपूर्ण नहीं हैं, जिसके तहत विमान परिचारिकाओं की सेवा-निवृत्ति की आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है, डाक्टरी तौर पर स्वस्थ्य होने पर यह 45 साल की जा सकती है, और कर्मचारियों की सीमा 58 वर्ष निर्धारित की गई है; इनसे संविधान का भी कोई उल्लंघन नहीं होता।

कमेटी ने गौर किया कि इन दोनों कारपोरेशनों का भी रवैया इस प्रश्न पर यही रहा है। इसलिए, जब कभी आवेदक बम्बई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करते, उन्हें कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1981 के फैसले में कर्मचारी सेवा नियमों को सही माना है और इसलिए महिला केबिन कर्मचारियों की मांगें अनुचित हैं। कमेटी महसूस करती है कि ऐसा करना मुद्दे को कुछ ज्यादा ही कानूनी बनाना है। सार तो यह है कि प्रतिनिधि मंडलों और याचिकाओं के माध्यम से लड़ रहे आवेदकों का संघर्ष सेवा नियमों के प्रावधानों को मात्र पक्षपातपूर्ण घोषित करने के लिए नहीं हैं बल्कि मैनेजमेंट की ओर से दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति उम्र को बराबरी पर लाने का सकारात्मक कदम है।

सेवा-निवृत्ति की उम्र बढ़ाने की मांग पर विचार होना चाहिए :

कमेटी यह पाती है कि, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग निवृत्ति-सीमा तय करने की पूरी तरह संवैधानिक मानती है, इसने यह नहीं कहा कि परिचारिकाओं की सेवा निवृत्ति की आयु 35 साल या 45 साल, जैसा कि संबद्ध नियमों का प्रावधान है, से अधिक नहीं हो सकती। सच्चाई तो यह है कि न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि, "विमान परिचारिकाओं को सेवा-

निवृत्ति की आयु-सीमा का निर्धारण संबंद्ध अधिकारियों को काम के स्वरूप, वर्तमान परिस्थितियां, दूसरे प्रतिष्ठानों के प्रचलन आदि कारकों पर विचार करके करना चाहिए। न्यायालयों ने आगे कहा, "सेवानिवृत्ति की आयु के निर्धारण का कोई एक पका-पकाया फार्मूला नहीं हो सकता, चूंकि इसको तय करने के लिए कई कारकों स्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है।" इस तरह दोनों कारपोरेशन की मैनेजमेंट हर वर्ग के लिए सेवा-निवृत्ति की आयु तय कर सकती है। पहले भी, कुछ शर्तें लगाकर, विमान परिचारिकाओं की निवृत्ति-सीमा बढ़ाकर 30 से 35 और फिर 45 साल तक की गई है इस तरह कमेटी का मत है कि विमान परिचारिकाओं की सेवा-निवृत्ति की उम्रबढ़ाने की मांग पर, वर्तमान सामाजिक-आर्थिक संदर्भों को देखते हुए और आवेदकों के तर्कों को देखते हुए फिर से विचार किया जाना चाहिए। कमेटी जोर देकर कहना चाहेगी कि विमान परिचारिकाओं की मांगों पर ताज़ा विचार करने की बात रोकी नहीं जा सकती, रोकी नहीं जानी चाहिए —सर्वोच्च न्यायालय की आड़ भी नहीं ली जा सकती, क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में पुनर्विचार की मनाही नहीं करता।

कमेटी, नागरिक उड्डयन सचिव की समझदारी और सहानुभूति लक्ष्य करती है, खासकर जब उन्होंने कहा कि यूरोपीय विमान सेवाओं प्रचलनों को ध्यान में रखते हुए, दोनों कारपोरेशनों के बोर्डों को मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह याद रखना असांदर्भिक नहीं होगा कि कमेटी के सामने अपने बयान में सचिव ने कहा कि, "सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी और संवैधानिक स्थिति दे देने से एयरलाइन्स के बोर्डों द्वारा उनके कर्मचारियों को रियायतें देने पर पाबंदी नहीं लग जाती।"

कमेटी महसूस करती है कि सेवा नियमों पर एक ताजा नजर डालने, महिलाओं के विरोध में अंतर्निहित पक्षपात को दुरुस्त करने और हमारी महिला साथियों में विश्वास रखकर, सुधारवादी कदम उठाने का समय आ गया है।

सेवा-निवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 55 को जा सकती है

जीवन-आशा में आम सुधार और कई अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कमेटी का मत है कि विमान परिचारिकाओं की सेवा निवृत्ति की आयु 55 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। **ऐसी शर्त लगायी जा सकती है कि 50 साल की उम्र के बाद विमान परिचारिकाओं को सालाना चिकित्सकीय परीक्षण करवाना होगा।** कमेटी का विचार यह भी है कि विमान परिचारिकाओं पर सेवा के चार साल पूरे होने तक शादी नहीं करने का जो प्रतिबंध है, वह वाहियात है, हटा दिया जाना चाहिए। कमेटी के अनुसार जो एकमात्र विवेकपूर्ण प्रतिबंध है दो जीवित बच्चों के बाद तीसरी बार गर्भाधान की स्थिति में विमान परिचारिका की सेवा समाप्त कर देने की, जो लघु परिवार की कल्पना के भी अनुरूप है। कमेटी यह भी महसूस करती है कि विमान परिचारिकाओं की इस दलील में दम है कि अपने अविवाहित होने के प्रमाण देने में उन्हें मुश्किलें होती हैं। मैनेजमेंट को इस शर्त पर जिद नहीं करनी चाहिए और नियुक्ति के समय विमान परिचारिकाओं की एकल वैवाहिक स्थिति के एफिडेविट को पर्याप्त प्रमाण मानकर स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

विमान-परिचारिकाओं को विमान निरीक्षकों की हैसियत से काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए

आगे कमेटी का मंतव्य है कि जिस तरह सबसे वरीय विमान कर्मचारी, भारतीय विमान के उड़ान के बाद दूसरे केबिन स्टाफ-पुरुष या स्त्री-के कार्यों का निरीक्षण करता है, उसी तरह एयर इंडिया की मातहत विमान परिचारिकाओं को भी उड़ान के बाद निरीक्षण की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। एयर इंडिया को केबिन कर्मचारी अनुदेशिका जिसके अनुसार मात्र फ्लाईट पर्सर ही उड़ान पर हर क्षेत्र का अधिकारी होगा संशोधन किया जाय, जिससे कि उप-मुख्य विमान परिचारिका को भी उड़ान पर निरीक्षण की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके। उस मामले में भी, हलांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केबिन कर्मचारी अनुदेश को उचित ठहराया है, एयर इंडिया का मैनेजमेंट इन प्रावधानों में प्रशासनिक आदेश देकर सुधार तो ला ही सकता है और उन्हें इंडियन एयर लाइंस के प्रावधानों के समकक्ष बना सकता है।

कमेटी की मंशा है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, दोनों के कर्मचारियों के सेवा-नियमों को पुनरीक्षित किया जाए, ताकि महिला कर्मचारियों के विरुद्ध अन्तर्निहित पक्षपात को दूर किया जा सके, और उन्हें जरूरी सुविधाएं दी जा सके, उनकी उन्नति के मार्ग खुल सकें। इस तरह का पुनरीक्षण, दोनों एयर लाइंस में तीन महीने के अन्दर किया जाय और बदलाव की दिशा में लिए गए कदम के बारे में कमेटी को सूचित किया जाय।

असंगठित मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल होगी

देशभर के असंगठित मजदूर, 1250 रु० न्यूनतम मजदूरी तथा अपनी दूसरी बुनियादी मांगों को लेकर देश-व्यापी हड़ताल करेंगे। यह फैसला, असंगठित मजदूरों की अखिल भारतीय कन्वेंशन में लिया गया। ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर, 23 सितंबर को नई दिल्ली में विट्ठलभाई पटेल हाउस के मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कन्वेंशन ने सर्वसम्मति से एक घोषणा स्वीकार कर यह फैसला लिया। हड़ताल की तारीख की घोषणा राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा बाद में तय कर ली जायगी।

कन्वेंशन ने हड़ताल की तैयारी के हिस्से के तौर पर 17 अक्टूबर को रैलियों प्रदर्शनों आदि के आयोजन तथा काली पट्टियां बांधने आदि के जरिए अखिल भारतीय असंगठित मजदूर दिवस का पालन करने, जिला कलक्टरियों पर तथा राज्य मुख्यालयों में धरने आयोजित करने, 15 नवंबर तक राज्य तथा क्षेत्र स्तर पर असंगठित मजदूर कन्वेंशनें आयोजित करने और 1990 में संसद के बजट सत्र के दौरान असंगठित मजदूरों का विशाल संसद मार्च आयोजित करने का भी फैसला लिया।

कन्वेंशन में, जम्मू-कश्मीर से केरल तक और महाराष्ट्र से त्रिपुरा तक, देश के 18 राज्यों से आये असंगठित मजदूरों (जिनमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं) के तीन हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें पंजाब के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। कन्वेंशन में देश के लगभग सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व, पिछले कुछ अर्से में असंगठित मजदूरों के आंदोलन में आये नये उभार को ही दिखा रहा था।

कन्वेंशन द्वारा स्वीकृत विस्तृत घोषणा में असंगठित मजदूरों के विभिन्न तबकों की दुःखद स्थिति का ब्यौरा दिया गया है, जबकि ये मजदूर कुल श्रम शक्ति का 85 फीसद हिस्सा हैं। इसके साथ ही घोषणा में पंद्रह सूत्री मांगपत्र सूत्रबद्ध किया गया है, जिसमें पहली मांग यही है कि जब तक 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के फैसले के अनुरूप आवश्यकता-आधारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है, मूल्य सूचकांक (1960 की श्रृंखला) के 800 अंक पर 1250 रु0 राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय की जाय और 2 रु० अंक की दर से महंगाई भत्ता दिया जाय।

इसके अलावा असंगठित मजदूरों की अन्य मुख्य मांगें हैं : प्रोवीडेंट फंड, ई० एस० आइ०, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ तथा अन्य वैज्ञानिक लाभ दिलाये जायं, आठ घंटे का श्रम दिन तथा सवेतन साप्ताहिक अवकाश तथा अन्य छुट्टियां, तमाम असंगठित मजदूरों के लिए सरकारी मदद से आवास योजना रोजगार तथा सेवा शर्तों के मामले में महिला मजदूरों तथा बाल श्रमिकों के लिए विशेष सुरक्षा तथा महिला मजदूरों के लिये समान मजदूरी रोजगार की सुरक्षा तथा मनमानी बर्खास्तगी तथा सेवा समाप्तियों के खिलाफ, कानूनी प्रावधान, ठेका प्रथा की समाप्ति तथा सभी ठेका मजदूरों को नियमित करना और जब तक यह न हो सकें, उन्हें नियमित मजदूरों के समान मजदूरी, महिला मजदूरों के बच्चों की देख भाल के लिए सरकार द्वारा संचालित पालनघर, स्थायी या सालों चलनेवाले कामों में कैजुअल, एम० एम० आर०, डेली रेट, वर्क चार्ज, अस्थायी आदि सभी थोपे गये सर्विस ब्रेक को अनदेखा करना। सभी मजदूरों को नियमित रोजगार दिलाने के लिए सरकार रोजगारोन्मुख योजनाएं लागू करे तथा बेकारी भत्ता दे, असंगठित मजदूरों को, गुप्त मतदान के जरिए यूनियन व जनतांत्रिक अधिकार दिलाना : इन मजदूरों के कल्याण की योजना के लिये मालिकान से खासा कल्याण महसूल उघाने की योजना तथा इस कल्याण फंड में खुद सरकार द्वारा खासा अंशदान ओर न्यूनतम मजदूरी कानून के पालन पर निगाह रखने के लिए जिला स्तरीय त्रिपक्षीय कमेटियों का गठन और केंद्र तथा राज्य के स्तरों पर सलाहकार बोर्डों की नियमित बैठकें।

अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का वक्तव्य—
विजय हो या मृत्यु—हम जीतेंगे

दक्षिणी अफ्रीका के वीरों का दिन-16 दिसम्बर एक बार फिर आ रहा है। इस मौके पर हम उम्खोन्तों वे सिज्बे के उन लड़ाकू बाँकुरों को सलाम करते हैं, जिन्होंने इस साल भी, पहले से कहीं ज्यादा, अपने रंगभेद कारी शस्त्रबद्ध शत्रुओं से हर मोड़ पर लड़ने के अपने संकल्प को सच कर दिखाया है।

कइयों ने लोगों की इस लड़ाई में अपनी जिन्दगी देकर सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कई दूसरों पर मुकदमें चल रहे हैं। अनेकों का मौत की सजा, या आजीवन कैद की सजा दे दी गई है, एक ऐसे कानून के द्वारा जो अल्प-संख्यक श्वेत-प्रशासन के गैरकानूनी और अपराधी तंत्र की रखवाली करता है। जो शहीद हो गए हैं, उनके लिए हम झंडे झुकाकर यही कहते हैं कि उनका बहाया खून बेकार नहीं जाएगा। उनसे जो मुकदमें पर हैं, या कैद हैं, या मौत के फंदे में झूलने जा रहे हैं, हम कहेंगे कि, "मजबूत और कठोर बनो। लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी आशाओं के बिंब हो।"

1988 हमारे संघर्ष के लिए एक यादगार वर्ष रहा है। हरेक मोर्चे पर हमने रंगभेदी सरकार को ऐसे धक्के पहुंचाए हैं कि वह लोगों के एकजुट, नियमित हमलों के असर से कराह रही है। उसके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम एक ऐसा संग्राम बन गया जहाँ लोग मारक युद्धों में लग गए, और, अंगोलन पीपुल्स आर्मी (एफ० ए० पी० एल० ए०), क्यूबा के अन्तर्राष्ट्रीय जुझारू दस्ते तथा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑब नामीबिया के साथ मिलकर, उन्होंने अंगोला में प्रिटोरिया के आक्रामक दुःस्साहस को पराजय के दुष्चक्र में बदल दिया—क्यूरो क्यूआनावले की लड़ाई में।

इन लड़ाइयों में एम० के० इकाइयों को अमेरिका-समर्थित-यूनिटा के आक्रमण से उत्तर की रक्षा का जिम्मा दिया गया था। अंगोला को अपने प्राण देकर बचाते हुए, मुक्ति, जनवाद और शांति की लोकप्रिय दक्षिण अफ्रीकी शक्तियों ने एक बड़ी जीत हासिल की—रंगभेदी दक्षिण अफ्रीकी सेना को अंगोला से भागना पड़ा और नामीबिया को मुक्ति मिली।

1875 में एक कठिन संघर्ष के बाद हासिल स्वतंत्रता के बाद, पहली बार अंगोला के लोग विकास की चुनौतियों से अब शांति-पूर्वक जूझ सकते हैं। इस शताब्दी में पहली बार, स्वापो के नेतृत्व में नामीबिया के लोग औप-निवेशिक बेड़ियों को तोड़ने की स्वतंत्रता हासिल करने की अपनी अथक लड़ाई के फलित होने की संभावना देख सकते हैं।

उपनिवेश के एक विशेष तरह की बेड़ियों से त्रस्त हमारे लोगों ने शत्रुओं से एक भी समझौता नहीं किया है। 26 अक्टूबर के म्यूनिसिपल चुनाव, जिसमें प्रशासन ने लोगों के संगठन पर एक बहुआयामी, आठ माह लंबा आक्रमण किया, वास्तव में, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की सुदृढ़ता, मजबूती और जुझारूपन की कसौटी साबित हुए। शासन ने काले लोगों को रंगभेदी सरकारी ढांचे में मिला लेने की सैनिक-राजनीतिक प्रक्रिया चलायी, पर प्रक्रिया असफल रही।

ये चुनाव तीन साल की अटूट आपातस्थिति के हालातों में हुए; गिरफ्तारी, कैद, रंगभेद-विरोधी कार्यकर्त्ताओं पर प्रतिबंध या निर्वासन की व्यापक कार्रवाई, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय लोगों के संगठनों पर प्रतिबंध और जनवादी संगठनों और रंगभेद विरोधी कार्यकर्त्ताओं पर बमवर्षा एवं उनकी हत्याएँ लगातार हुई। फिर भी, न धमकी देकर न ही लालच देकर शासन अफ्रीकान-नियुक्त स्थानीय अधिकारियों के 1950 सीटों के लिए उम्मीदवार जुटा सका। शक्ति, घूस और भ्रष्टाचार लाखों काले शहरी लोगों को वोट देने के लिए पंजीकृत करने नहीं ला सके, और अभूतपूर्व 13 दिनों के मतदान के बाद, जिसके दौरान सुरक्षा के विशालतम आयोजन किए गए, अफ्रीकी वयस्क जनसंख्या का 10 प्रतिशत से भी कम हिस्से ने

वोट देने की जरूरत समझी। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के बोट नहीं देने के आह्वान का उत्तर देते हुए, लोग एक एकात्मक, गैर रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका में आम वयस्क मताधिकार की अपनी मांग को लेकर डटे रहे, अड़े रहे।

इस संघर्ष को ऊँचाई उम्खोन्तो वे सिज्वे के जुझारू कार्यों से मिली। चुनाव।अवधि जैसे-जैसे करीब आती गई, दुश्मनों के साथ सशस्त्र मुठभेड़ों की संख्या बढ़ती गई। मात्र सितम्बर में ही शासन ने स्वीकार किया, कि इसे कम से कम 46 अवसरों पर हमारी जुझारू इकाइयों से लड़ना पड़ा। कुल मिलाकर इस बीते साल में हमारे लोगों की सेवाओं ने पहले किसी भी साल से ज्यादा काम किया है।

म्यूनिसियल चुनावों में प्रशासन की द्वार किसी भी मायने में उसकी अंगोला की हार से कम महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और सच्ची स्वतंत्रता, सच्चे जनवाद और सच्ची शांति की लोगों की अकांक्षाओं को मिटा देने के प्रयास में शासन जनता के संगठनों की ताकत और क्षमता को ही सिद्ध करने में कामयाब रही है। शासन मुश्किलों से घिर गया है, चूंकि हमारे देश की समस्याओं के इसके समाधानों को, दक्षिण अफ्रीका की बहुसंख्यक जनवादी जनता ने रद्द कर दिया है। श्वेत लोगों के बीच भी अनिश्चितता और मतभेद बढ़ रहे हैं। शासन के पास काले या श्वेतों के लिए कोई आगे का रास्ता नहीं। यह दमन-चक्र को और कड़ा कर सकता है, लोगों के खिलाफ और ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन दिनोदिन मजबूत होता जा रहा है।

हमारे पास द० अफ्रीका की समस्याओं का हल है, एक ऐसा हल जो द० अफ्रीका के सारे जनवादी और शांतिप्रिय लोगों का ख्याल रखती है। इसका यह मतलब नहीं कि हम आराम से चादर तानकर सो जाएँ। चुनौती हमारे सामने है, हमें अपनी सांगठनिक क्षमता बढ़ाकर, शक्तियों के संतुलन के अपनी ओर झुकाना है। हर मोर्चे पर हमें अपना संघर्ष और तेज करना चाहिए, लोगों को क्रांतिकारी सेना में बदलने के किसी उपाय को छोड़ना नहीं चाहिए जिससे एक मुक्त द० अफ्रीका में जनता को ताकत देने की गारंटी दे, और उसकी सुरक्षा कर सके।

उम्खोन्तो वे सिज्वे जिन्दाबाद : विजय हो या मृत्यु— हम जीतेंगे।

[पृष्ठ 11 का शेष]

9. इस संबंध में, विश्व-शांति के खतरों को रेखांकित करने और अधिकाधिक संख्या में अपनी महिला सदस्यों को, नाभिकीय, रासायनिक और जनसंहार के दूसरे अस्त्रों की समाप्ति के लिए संघर्ष में लाने की बड़ी जिम्मेदारी ट्रेड यूनियनों पर है। यह लड़ाई, बेहतर जीवन के लिए उनकी लड़ाई का ही एक अहम हिस्सा है, क्योंकि, यही तय करेगा कि अस्त्रों पर होते विशाल खर्चे में कटौती हो, और वह धनराशि फौरी आर्थिक-सामाजिक समस्याओं, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, स्वस्थ पर्यावरण और बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रयुक्त हो

10. आज महिलाएँ मजदूर संघर्षों, जनमुक्ति संघर्षों और राष्ट्रीय मुक्ति और उन्नति के संघर्षों में अधिकाधिक भूमिका निभा रही हैं। सम्मेलन ने फासीवादी और रंगभेदी शासनों, अत्याचार, सैनिक हस्तक्षेप और युद्धों के खिलाफ लड़ती वीरांगनाओं को बधाई दी। उन्हें सारे संसार के ट्रेड यूनियन आंदोलन की समर्थन की जरूरत है।

11. सम्मेलन इस नतीजे पर पहुंचा कि शांति, सामाजिक न्याय और समता एक दूसरे से अलग नहीं है। इन अधिकारों और मांगों को हासिल करने के लिए महत्तर एकता और अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत है। इसलिए, सम्मेलन ने विश्व की सभी कामकाजी महिलाओं और ट्रेड यूनियनों का आह्वान किया कि वे इसी भावना से कार्य करके, ऐसे कदम उठाएँ जिससे ट्रेड यूनियन आंदोलन और इनकी कार्रवाइयों में महिलाओं की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन मिले और ट्रेड यूनियनों, महिला संगठनों और दूसरी सामाजिक शक्तियों की संयुक्त गतिविधियां हों।

12. भाग लेनेवालों ने तय पाया कि कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर 5वें विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन के परिणाम और निष्कर्ष तथा कामकाजी महिलाओं के अधिकारों का चार्टर, 1985 में नैरोबी में, संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के अन्त में हुए, विश्व सम्मेलन में अंगीकृत 'महिला विकास की अग्रसोची रणनीति' के कार्यान्वियन की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान हैं। इसी भावना के तहत, उन्होंने ट्रेड यूनियन संगठनों, खासकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों जैसे आई.सी.एफ.टी.यू., डब्ल्यू.सी.एल. तथा डब्ल्यू. एफ. टी. यू. से आह्वान किया कि वे इन मांगों को विस्तृत तौर पर प्रचारित करें और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आयोजन करें, जिससे उन्हें हासिल किया जा सके।

इस सम्मेलन में सीटू सेक्रेटरी, कामरेड विमल रणदिवे ने शिरकत की थी।

[पृष्ठ 2 का शेष]

जूद, एक हजार से ज्यादा महिलाओं का जत्था 7 सितम्बर की रात को ही पहुंच गया था। केरल से भी 300 महिलाएं रैली में शामिल हुई, वे तीन दिन लम्बी कठिन यात्रा करके पहुंची थीं। बंगाल से 1000 महिलाएं पहुंची थीं और अन्य सभी राज्यों से पहले तय किए गए कोटे से ज्यादा महिलाएं पहुंची थीं।

हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक आदि समेत, कुल मिलाकर देश के 18 राज्यों की महिलाओं का इस रैली में प्रतिनिधित्व हो रहा था। बिहार से रैली के लिए आ रही महिलाओं को रेलवे अधिकारियों तथा पुलिस द्वारा तरह-तरह से परेशान किये जाने, रेलों से उतारे जाने, जुर्माने किए जाने तथा जेलों में डाले जाने तक का सामना करना पड़ा। जगह-जगह महिलाओं को पुलिस लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। इस सबके बावजूद, सैकड़ों महिलाओं ने अपने दिल्ली पहुंचने के दृढ़ निश्चय से अधिकारियों को झुकने पर मजबूर कर दिया हालांकि हजारों दूसरी महिलाएं दिल्ली नहीं पहुंच सकीं।

महिलाओं की इस देशव्यापी कार्रवाई के लिए उठाया गया सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का था। बेशक यह आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जब करोड़ों स्त्री पुरुष बेरोजगार हैं और लाखों पहले से बेरोजगार महिलाओं को आधुनिकीकरण, मशीनीकरण आदि के जरिए बेरोजगारों की कतारों में धकेला जा रहा है। दूसरी ओर, रोजमर्रा की बुनियादी जरूरत की चीजों के दाम आकाश छू रहे हैं और लोग भूखे मर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, जनवादी महिला समिति तथा कामगार महिला समन्वय समिति के कार्रवाई के आह्वान को, देहाती इलाकों समेत सभी राज्यों में महिलाओं का जबर्दस्त समर्थन मिला। इन फौरी मुद्दों पर महिलाओं को लामबन्द करने के लिए चलाये गए दो महीने लम्बे अभियान का सभी राज्यों में जबर्दस्त असर पड़ा।

6 तारिख से ही देश के विभिन्न हिस्सों से महिलाएं दिल्ली पहुंचने लगी थीं, जिन्हें विशाल कैंप में ठहराया गया। 8 सितम्बर की सुबह 10 बजे से ही बैनरों, झण्डों तथा तख्तियों के साथ प्रदर्शनकारियों की अनुशासित अन्तहीन कतारें दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ीं। देश की अलग-अलग भाषाओं में नारे लगातीं, नाचती-गाती तथा नाटक दिखाती अनुशासित कतारों ने जब बोट क्लब तक का 7-8 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए अपना मार्च शुरू किया, जगह-जगह ट्रैफिक रुक गया, बताया जाता है कि प्रशासन ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी महिलाएं प्रदर्शन में भाग ले सकती हैं और अन्तहीन कतारों के सामने अचानक ट्रैफिक की दिशा बदलना प्रशासन के लिए असम्भव हो गया। दर्शकों में हर जगह एक ही टिप्पणी थी। महिलाओं का ऐसा जुलूस इससे पहले कभी नहीं देखा।

कांग्रेस शासक महिलाओं के लिए 30 फीसद आरक्षण, 40 फीसद पट्टे महिलाओं के लिए या संयुक्त पट्टे महिलाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष योजना, आदि-आदि का बहुत ढोल पीटते हैं। दूरदर्शन और रेडियो पर आये दिन राजीव गांधी तथा दूसरे कांग्रेसी नेताओं के भाषण सुनवाये जाते हैं, जिनमें महिलाओं के विकास के लिए बड़ी चिंता दिखायी जाती है। लेकिन, उसे रेडियो तथा दूरदर्शन ने राजधानी की महिलाओं की अबतक की सबसे बड़ी रैली का जिक्र करने तक की जरूरत नहीं समझी। क्योंकि यह रैली महिलाओं को रोजगार दिलाने के राजीव गांधी के वादों के खोखलेपन को ही उजागर नहीं कर रही थी, बल्कि इस वादाखिलाफी के लिए देश की सभी भाषाओं में राजीव गांधी की सरकार का इस्तीफा भी मांग रही थीं।

चिलकती दोपहर में, 7-8 किलोमीटर का रास्ता तय करके जुलूस करीब 12 बजे बोट क्लब पहुंचा, वहां "परचम" के क्रांतिकारी गीतों के साथ सभा की कार्रवाई शुरू हुई। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की कार्यकारी अध्यक्ष, अहिल्या रांगणेकर ने सभा की अध्यक्षता की। महिला समिति की महासचिव सुशीला गोपालन ने रोजगार के लिए रैली का मुख्य प्रस्ताव पेश करते हुए बेरोजगार लोगों में महिलाओं के घटते अनुपात की ओर ध्यान खींचा। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह पश्चिम बंगाल तथा केरल को छोड़कर शेष देश में भूमि सुधार लागू न होने के कारण भूमि चन्द लोगों के ही हाथों में केंद्रित है, जो चौतरफा प्रगति को रोके हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक उत्पीड़न की जड़ें मौजूदा सामाजिक आर्थिक ढांचे में हैं। अन्त में उन्होंने सभी तबकों से अपील की कि रोजगार के अधिकार को समर्थन दें।

अहिल्या रांगणेकर ने महिलाओं का आह्वान किया कि सांप्रदायिक सौहार्द्र की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की सरकार देश के बिखराब के लिए जिम्मेदार है और ऐसी सरकार को फौरन इस्तीफा देना चाहिए।

अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति की सचिव विमल रणदिवे ने आंगनवाड़ियों में कार्यरत महिलाओं की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला और बताया कि राजीव गांधी ने आंगनवाड़ी महिलाओं के प्रतिनिधिमण्डल को क्या जवाब दिया था। उन्होंने, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाये जाने की मांग की और कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाओं में इसकी हिम्मत पैदा होती है कि सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ सकें।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की संयुक्त सचिव, बृन्दा कारत ने बताया कि किस प्रकार, रोजगार के लिए सभी राज्यों में अभियान जारी है और इस अभियान को जबर्दस्त समर्थन मिल रहा है, जिससे इतनी तादाद में महिलाओं को लामबंद किया जा सका है। उन्होंने, विभिन्न राज्यों से आ रही महिलाओं पर पुलिस तथा प्रशासन के निर्मम दमन की भर्त्सना की।

अन्य लोगों के अलावा पंजाब से राजेन्द्र कौर, उत्तर प्रदेश से लक्ष्मी सहगल, प० बंगाल से श्यामली गुप्त ने भी सभा को सम्बोधित किया और राजीव सरकार के इस्तीफे की मांग का प्रस्ताव-सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

"रोजगार हमारा मौलिक अधिकार" और "राजीव हटाओ देश बचाओ" के गगनभेदी नारों के साथ महिलाओं की शानदार रैली का समापन हुआ।

महिलाओं की रैली का प्रस्ताव

राजीव सरकार इस्तीफा दो

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा, 8 सितम्बर को नई दिल्ली के बोट क्लब पर आयोजित, देशभर से आयी महिलाओं की यह रैली, विपक्षी पार्टियों के 30 अगस्त के भारत बन्द के आह्वान को मिले जबर्दस्त जन-समर्थन का अभिनन्दन करती है। भारत बन्द की मांगों में, अन्य मांगों के अलावा, राजीव गांधी की सरकार के इस्तीफे की मांग भी शामिल थी।

भ्रष्टाचार घोटालों, राष्ट्रीय एकता की समस्याओं से निपटने तथा फूटपरस्त ताकतों का प्रतिरोध करने में सरकार की विफलता, जनता के जनतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते हमलों, विदेशी पूंजी तथा निजीकरण के लिए द्वार खोलने की आर्थिक नीति आदि के चलते, देश की स्वतंत्रता, स्वाधीनता तथा एकता के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो गयी है। इसके चलते आम आदमी पर, किसानों, खेत-मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों, सभी पर भारी बोझ डाला गया है और बड़े पैमाने पर बेकारी तथा गरीबी का बोल-वाला है।

राजीव सरकार के साढ़े चार साल के शासन में महिलाओं को सबसे ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ी हैं। आम तौर पर महिलाओं पर और खासकर हरिजन तथा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की महिलाओं पर अत्याचार कई गुना बढ़ गया है और सभी अपराधी, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, बेदाग छूट जाते हैं। इसके अलावा महिलाएं रोजगार, समान मजदूरी, सम्पत्ति अधिकारों तथा कानून के सामने समानता से वंचित हैं।

इस सभा की पक्की राय है कि जब तक ऐसी सरकार नहीं बनती है, जो सीधे-सीधे आम जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हो, तब तक न देश की एकता सुरक्षित रह सकती है, न समस्याएं हल की जा सकती हैं और न महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरह बहाल तथा लागू किया जा सकता है। इसलिए यह सभा मांग करती है कि राजीव सरकार इस्तीफा दे और फौरन चुनाव कराये जायं, ताकि जनता अपनी मर्जी की सरकार बना सके।